रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102024-257705
CG-DL-E-04102024-257705

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3966]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 3, 2024/आश्विन 11, 1946
No. 3966]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 3, 2024/ASVINA 11, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4325(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, को जनता, जिसके इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत अपेक्षित अनुसार एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर तारीख, जिसको इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा;

प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इन्हें लिखित रूप में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार के विचारार्थ सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या इन्हें मंत्रालय के ई-मेल पते esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप

अधिसूचना

जबकि, त्राल वन्यजीव अभयारण्य श्रीनगर शहर से लगभग 45 किमी दक्षिण-पूर्व में स्थित है। यह कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले में जिला मुख्यालय पुलवामा सहित लगभग 30 किमी की दूरी पर पड़ता है। इस अभयारण्य से निकटतम हवाई अड्डा, श्रीनगर 50 किमी और निकटतम रेलवे स्टेशन, अवंतीपोरा 15 किमी दूर है।

और जबकि, ऐतिहासिक रूप से, संरक्षित क्षेत्र के कुछ हिस्सों अर्थात् शिकारगाह और खानगुंड (पूर्व में संरक्षण रिजर्वों के रूप में नामित), को देश के सबसे पुराने अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। उनकी अधिसूचना वर्ष 1945 की है, जब वे जम्मू और कश्मीर राज्य की तत्कालीन रियासत के महाराजा के खेल कानूनों द्वारा शासित थे। इसलिए, वर्ष 2019 में, इन संरक्षण रिजर्व को क्षेत्रीय वन खंडों वाले समीपवर्ती क्षेत्रों के साथ एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में उन्नत किया गया था। ग्रेटर हिमालयी पर्वतों के ऊबड़-खाबड़ और ऊंचे-नीचे इलाके में फैले इस अभयारण्य में लगभग 155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है और यह राज्य सरकार की दिनांक 23 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना संख्या एफ़एसटी/डब्ल्यूएल/07/2018 (एसआरओ-639) के माध्यम से अस्तित्व में आया है।

और जबकि, त्राल वन्यजीव अभयारण्य और समीपवर्ती क्षेत्र कश्मीरी लाल हिरण (हंगुल), जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार एक अनुसूची-I प्रजाति है, की वितरण सीमा के भीतर आते हैं और आईयूसीएन रेड डेटा बुक में 'गंभीर रूप से विलुप्तप्राय' के रूप में नामित है। हंगुल का विस्तार-क्षेत्र केवल दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और कुछ समीपवर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित है। त्राल वन्यजीव अभयारण्य, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, के बाहर के कुछ क्षेत्रों में से एक है जहां इस गंभीर रूप से विलुप्तप्राय हिरण की आबादी अभी भी जीवित है। दाचीगाम के अलावा, यह अभयारण्य ओवरा-अरु वन्यजीव अभयारण्य और खेव संरक्षण रिजर्व जैसे अन्य महत्वपूर्ण वन्यजीव क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। ये संरक्षित क्षेत्र, समृद्ध जैव-विविधता का भू-दृश्य तैयार करते हैं तथा पशुओं, पक्षियों और वनस्पतियों की कुछ महत्वपूर्ण और स्थानिक प्रजातियों की पर्याप्त आबादी का आश्रय देते हैं।

और जबकि, त्राल वन्यजीव अभयारण्य कश्मीरी लाल हिरण (सरवस हंग्लू हंग्लू), कश्मीरी कस्तूरी मृग (मोस्कस कप्रेयस) और कश्मीर ग्रे लंगूर (सेमनोपिथेकस अजाक्स) जैसी विभिन्न स्थानिक प्रजातियों का आश्रय-स्थल है। जबकि इस अभयारण्य में पाई जाने वाली अन्य दुर्लभ, विलुप्तप्राय और संकटग्रस्त प्रजातियां, साधारण तेंदुआ (पैंथेरा पार्डस), हिमालयी ग्रिफ़ॉन गिद्ध (जिप्स हिमालयेन्सिस), बीयर्डेड गिद्ध (जिपेटस बारबेटस) और कश्मीरी फ्लाईकैचर (फिसेडुला सुब्रुब्रा) हैं। त्राल के वनों में बडी संख्या में एकोनिटम हेटरोफिलम, अर्नेबिया बेंथामी, आर्टेमिसिया एब्सिंथियम, बर्बेरिस लाइकियम, बर्गनिया सिलियाटा, दतूरा स्ट्रैमोनियम, डायोस्कोरिया डेल्टोइडिया, लावाटेरा कश्मीरियाना, सौसुरिया कोस्टस और टैक्सस वालिचियाना जैसी औषधीय महत्व की अनेक पौध प्रजातियां मौजूद हैं।

और जबकि, त्राल वन्यजीव अभयारण्य रॉजर्स एट अल. द्वारा सुझाए गए जैव-भौगोलिक वर्गीकरण के 2क प्रांत के अंतर्गत आता है। चैंपियन एंड सेठ (1968) द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार, इस अभयारण्य की वनस्पति आमतौर पर हिमालयी नम समशीतोष्ण वन, उप-अल्पाइन वन और अल्पाइन वन प्रकार की है। त्राल वन्यजीव अभयारण्य के वनस्पति प्रकार, प्रमुख पुष्प प्रजातियों के आवास, रूप और घनत्व से निर्धारित होते हैं। इसके प्रमुख वनस्पति प्रकार हैं :

1. **नदीय: (1600-2300 मीटर):** इस प्रकार की वनस्पति कम ऊंचाई पर होती है और इनमें एस्कुलस इंडिका, फ्रैक्सिनस हुकेरी, पैरोटिओप्सिस जैक्विमोंटियाना और जुग्लांस रेजिया की चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियां प्रमुख होती हैं। प्रमुख झाड़ियों में इंडिगोफेरा हेटरेंथा, लोनिसेरा प्रजातियां, वाइबर्नम, स्किमिया लॉरेल, जैस्मीनम प्रजातियां आदि शामिल हैं।

2. **शंकुधारी वन: (2300-3000 मीटर):** इस प्रकार के वन ब्लू पाइन (पीनस वालिचियाना) और देवदार (एबीज पिंडरो) प्रमुख प्रजातियों के रूप में होते हैं, जो 2300 मी. की ऊंचाई पर स्प्रूस (पिका स्मिथियाना) के साथ पाए जाते हैं। वुडलैंड कुछ स्थानों पर नालों के किनारों पर भी पाया जाता है।

3. **अल्पाइन झाड़ियां और चारागाह : (3000-3500 मीटर):** इस प्रकार के वन, बिखरी झाड़ीदार वनस्पति वाले वृक्षहीन चरागाहों से युक्त होते हैं। बिर्च (बेटुला यूटिलिस) इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख प्रजाति है जो छायादार स्थानों पर जुनिपरस रिकर्वा, रोडोडेंड्रोन प्रजाति, वाइबर्नम प्रजाति, लोनिसेरा प्रजाति और प्रिमुला से जुड़ी वृक्ष रेखा के पास होती है। वृक्ष रेखा के ऊपर व्यापक अल्पाइन घास के मैदान, जिन्हें 'मार्ग' के रूप में जाना जाता है, में बारहमासी जड़ी-बूटियां और घास की बेहतर वृद्धि होती हैं। यहां की प्रमुख झाड़ीदार प्रजातियां, मायोसोटिस प्रजातियां, सिनोग्लोसम प्रजातियां आदि हैं। बेटुला यूटिलिस कुछ-कुछ स्थानों पर बिखरा हुआ पाया जाता है।

4. **रॉक फेसिस: (3500 मीटर से ऊपर):** पथरीली चट्टानों और पहाड़ की चोटियों पर जड़ी-बूटियों, स्टैचिस सेरिसिया, सिएवर्सिया एलाटा और वेरोनिका मेलिसिफोलिया से जुडी छोटी सदाबहार झा़ड़ियां व्यापक रूप से पाई जाती हैं, जिनमें जुनिपरस रिकर्वा, रोडोडेंड्रोन एंथोपोगोन आदि शामिल हैं।

और जबकि, त्राल वन्यजीव अभयारण्य हंगुल की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा बनाता है। पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र की घोषणा से अभयारण्य क्षेत्र के चारों ओर एक बफर बनाने में मदद मिलेगी जिससे अंतिम शेष हंगुल आबादी के लिए एक सुरक्षित, उपयुक्त और व्यवहार्य पर्यावास बन सकेगा।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में त्राल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से शून्य से 03.26 किमी. तक के क्षेत्र को त्राल वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारि संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन का विस्तार और सीमाएं-

(1) त्राल वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन का विस्तार इसकी सीमा से **0.00 किमी से 3.26 किमी** तक है, जिसमें 26 गांवों सहित **127.10 वर्ग किलोमीटर** का क्षेत्र शामिल है। विभिन्न दिशाओं में ईएसजेड की विशिष्ट सीमा नीचे दी गई है :

दिशा	विस्तार (किमी में)	निर्देशांक	
		अक्षांश	देशान्तर
उत्तर (टी22)	0	34° 5' 44.094" उ.	75° 8' 31.939" पू.
उत्तर-पूर्व (टी21)	0	34° 1' 35.515" उ.	75° 14' 10.813" पू.
पूर्व (टी19)	01	33° 56' 30.547" उ.	75° 13' 59.550" पू.
दक्षिण-पूर्व (T18)	01.38	33° 49' 0.150" उ.	75° 14' 1.532" पू.
दक्षिण (टी16)	01	33° 50' 38.734" उ.	75° 7' 15.598" पू.
दक्षिण-पश्चिम (टी15)	01	33° 52' 37.979" उ.	75° 5' 0.439" पू.
पश्चिम (टी4)	03.26	34° 0' 1.545" उ.	75° 1' 0.309" पू.
उत्तर-पश्चिम (टी2)	01	34° 3' 59.623" उ.	75° 2' 18.451" पू.

त्राल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से ईएसजेड की न्यूनतम शून्य किमी सीमा इस तथ्य के कारण है कि इसकी दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और ओवेरा-अरु वन्यजीव अभयारण्य नामक अन्य संरक्षित क्षेत्रों के साथ साझा सीमा है।

(2) त्राल पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन का सीमा विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(3) त्राल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों के साथ-साथ विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन का सीमा विवरण **अनुलग्नक-Iक** में दिया गया है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के विभिन्न मानचित्रों को गूगल अर्थ इमेजरी, टोपोशीट पर **अनुलग्नक-II** से **अनुलग्नक-IIछ** के रूप में संलग्न किया गया है।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के अंदर आने वाले गांवों की सूची और जनसांख्यिकीय पैटर्न क्रमशः **अनुलग्नक-III** और **अनुलग्नक-IV** के रूप में संलग्न है।

(6) त्राल वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाने वाले स्तनधारियों और पक्षियों की सूची **अनुलग्नक-V** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) संघ राज्य क्षेत्र सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और संघ राज्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना, ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरुप तैयार की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय तथ्यों को समाकलित करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी:

(i) पर्यावरण;

(ii) वन;

(iii) कृषि

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(x) नगरपालिका;

(xi) पंचायती राज; और

(xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना के तहत अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना, सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों, जो अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल स्रोतो के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन किया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैरा-4 में सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना, प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना, इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी।

3. जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय – संघ राज्य क्षेत्र सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात:-

1. **भू-उपयोग:** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर उपर्युक्त भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे :-

i. मौजूदा सड़कों को चौड़ा और मजबूत बनाना और नई सड़कों का निर्माण;

ii. अवसंरचना और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीनीकरण;

iii. प्रदूषण न फैलाने वाले छोटे पैमाने के उद्योग;

iv. ग्रामीण उद्योगों आदि सहित कुटीर उद्योग; होम स्टे सहित पारि-पर्यटन को बढ़ावा देने वाले सुलभ दुकान और स्थानीय सुविधाएं; और

v. पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप और संबंधित विनियमित क्रियाकलाप;

बशर्ते और भी कि संघ राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 या वर्तमान में लागू किसी कानून जिसमें केअनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2)भी आता हैप्रावधानों के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास गतिविधियों के लिए जनजातीय भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी;

बशर्ते और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में दिखाई देने वाली किसी भी त्रुटि को संबंधित संघ राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के बाद ठीक किया जाएगा और उक्त त्रुटि के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी;

बशर्ते कि उक्त त्रुटि सुधार के दायरे में इस उप-पैराग्राफ के अंतर्गत दिए गए प्रावधान को छोड़कर अन्य किसी भी मामले में भूमि-उपयोग में किया जाने वाला परविर्तन नहीं आएगा;

वशर्ते यह भी है कि हरित क्षेत्र, जैसे वन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में कोई परिणामगत कमीआनी चाहिए तथा अप्रयुक्त या बंजर कृषि क्षेत्रों में पुनः वनरोपण करने के प्रयास किए जाने होंगे।

(2) प्राकृतिक जल निकाय और झरने -सभी प्राकृतिक झरनों/नदियों/चैनलों के जलग्रहण क्षेत्रों को अभिज्ञात किया जाएगा और उनके संरक्षण तथा पुनरुद्धार योजनाओं को जोनल मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा और संघ राज्य सरकार द्वारा दिशानिर्देश इस तरह से तैयार किए जाएंगे कि इन क्षेत्रों में या इनके निकट ऐसी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हो।

भूजल के दोहन की अनुमति केवल भूमि के स्वामी/कब्जाधारी के यथोचित कृषि और घरेलू उपभोग के लिए दी जाएगी। किसी भी वाणिज्यिक/कृषि या पशुधन संचालन से जल स्रोत के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।

(3) पर्यटन/पारि-पर्यटन- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारि-पर्यटन, पर्यटन गतिविधियां या मौजूदा पर्यटन गतिविधियों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन मास्टर प्लान के अनुसार होगा।

(ख) पारि-पर्यटन मास्टर प्लान को संघ राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा।

(ग) पर्यटन मास्टर प्लान जोनल मास्टर प्लान का ही एक घटक होगा और यह पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता अध्ययन पर आधारित होगा।

(घ) पारि-पर्यटन की गतिविधि का विनियमन निम्नानुसार किया जाएगा, यथा: -

(i) वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या ईएसजेड की सीमा तक, जो भी नजदीक हो, नए होटलों और रिसॉर्ट्स के किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बशर्ते कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से दूर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, नए होटलों और रिसॉर्ट्स की स्थापना की अनुमति केवल पर्यटन मास्टर प्लान के अनुसार पारि-पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व-निर्धारित और में ही किये जाने के लिए की जाएगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नई पर्यटन गतिविधियां या मौजूदा पर्यटन गतिविधियों का विस्तार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2018 में जारी पारि-पर्यटन दिशा-निर्देशों और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारि-पर्यटन दिशा-निर्देशों (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार होगा, जिसमें पारि-पर्यटन, पारि-शिक्षा और पारि-विकास पर जोर दिया जाएगा;

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना को तैयार और अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है, तब तक, पर्यटन के लिए विकास और मौजूदा पर्यटन गतिविधियों के विस्तार की कोई अनुमति संबंधित नियामक प्राधिकरणों द्वारा तथा वास्तविक स्थल-विशिष्ट जांच और निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर दी जाएगी।

(4) प्राकृतिक विरासत- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थल, जैसे जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, चट्टान संरचनाएं, झरने, स्रोत, घाटियां, उपवन, गुफाएं, बिंदु, पैदल मार्ग, सैरगाह, चट्टानें आदि को अभिज्ञात किया जायेगा और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने के भीतर उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए योजना तैयार की जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक जोनल मास्टर प्लान का हिस्सा बनेगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्य और सांस्कृतिक महत्व के भवनों, संरचनाओं, कलाकृतियों, क्षेत्रों और परिसरों की पहचान की जाएगी और आंचलिक मास्टर प्लान के भाग के रूप में उनके संरक्षण की योजना तैयार की जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 और उसके संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(7) वायु प्रदूषण- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 351 (अ), दिनांक 15 मई, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अर्थात् होगा।

(8) अपशिष्टों का निर्वहन- अशोधित अपशिष्टों तथा मलजल का निर्वहन निषिद्ध है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन में शोधित अपशिष्टों का निर्वहन, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 58 (अ), दिनांक 27 फरवरी, 1975 द्वारा प्रकाशित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट- ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार होगा: -

क. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक सामग्री को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर अभिज्ञात किए गए स्थल पर पर्यावरण स्वीकार्य तरीके से निपटाया जा सकता है।

ख. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अभिज्ञात की गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्टों का सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सुप्रबंधन (ईएसएम) की अनुमति दी जा सकती है।

(10) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट- जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन निम्नानुसार होगा:

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट निपटान जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर अभिज्ञात की गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्टों का सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सुप्रबंधन (ईएसएम) की अनुमति दी जा सकती है।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार तथा समय-समय पर यथा संशोधित अनुसार किया जाएगा।

(12) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार तथा समय-समय परयथा संशोधित अनुसार किया जाएगा।

(13) ई-अपशिष्ट- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार तथा समय-समय परयथा संशोधित अनुसार किया जाएगा।

(14) वाहनीय यातायात- वाहनों के आवागमन को पर्यावास अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में विशिष्ट प्रावधान आंचलिक मास्टर प्लानमें शामिल किए जाएंगे और जब तक आंचलिक महोयाजना तैयार नहीं कर लिया जाता है और राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, तब तक निगरानी समिति संबंधित अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत वाहनों के आवागमन के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) वाहन प्रदूषण- वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। सीएनजी, एलपीजी आदि जैसे स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) औद्योगिक इकाइयां-

क. आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई भी नया प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ख. जब तक कि इस अधिसूचना में निर्दिष्ट न किया गया होफरवरी 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में दिये गये उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार ईएसजेड के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को ही अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

क. जोनल मास्टर प्लानमें पहाड़ी ढलानों पर ऐसे क्षेत्रों को इंगित किया जाएगा जहां किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

ख. विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या अत्यधिक कटाव वाली ढलानों पर निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर निषिद्ध या विनियमित की जाने वाली गतिविधियों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी गतिविधियां पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों, इसके तहत बनाए गए नियमों तथा पर्यावरण, वन और वन्यजीवन से संबंधित भारत सरकार के अन्य अधिसूचनाओं, विधियों और अधिनियमों, पूर्व पर्यावरण और वन मंत्रालय, संख्या 1533(ई), दिनांक 14 सितंबर, 2006 तथा नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट तरीके से और समय-समय पर यथा संशोधित विधियों द्वारा शासित होंगी, यथा

क्रमांक (1)	**क्रियाकलाप** (2)	**टिप्पणी** (3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और क्रशिंग इकाइयाँ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर घरों के निर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी खोदने सहित स्थानीय निवासियों की घरेलू जरूरतों को पूरा करने को छोड़कर; सभी नए और मौजूदा खनन (लघु और प्रमुख खनिज), पत्थर उत्खनन और क्रशिंग इकाइयों पर तत्काल

		प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है; (ख) खनन कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (आदेशों) के अनुसार किया जाएगा, जो टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम यूओआई के डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 202/1995 और गोवा फाउंडेशन बनाम यूओआई के डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 435/2012 और आईए संख्या 1000/2003 के निर्णय दिनांक 3 जून, 2022 और उसके बाद आईए संख्या 131377/2022 के निर्णय दिनांक 26 अप्रैल, 2023 और 28 अप्रैल, 2023 के हैं।
2.	प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना(जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि)।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योगों और मौजूदा प्रदूषणकारी उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी: हालाकिजब तक कि इस अधिसूचना में निर्दिष्ट न होकि गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर अनुमति दी जा सकेगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है, और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी भी खतरनाक पदार्थ का उपयोग, उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अशोधित अपशिष्टों का निर्वहन।	प्रतिषिद्ध।
6.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल की स्थापना और ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य भस्मीकरण सुविधा।	प्रतिषिद्ध के भीतर कोई भी नया ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस अपशिष्ट के शोधन/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं है। औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट के शोधन के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भस्मीकरण सुविधा की स्थापना निषिद्ध है।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नई आरा मिल को लगाने या मौजूदा आरा मिल के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना।	सभी नई और मौजूदा ईंट भट्ठा इकाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
9.	फर्मों और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर व्यावसायिक पशुधन और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	प्रतिषिद्ध। बशर्ते कि स्थानीय किसानों द्वारा अपनी आजीविका के लिए केवल छोटे पैमाने पर पोल्ट्री फार्म स्थापित किए जा सकते हैं।
10.	नये काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर किसी भी नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी: बशर्ते कि मौजूदा काष्ठ आधारित उद्योग को कानून के अनुसार जारी रखा जा सके और मौजूदा आरा मिलों के लाइसेंस का नवीनीकरण उनकी समाप्ति पर नहीं किया जाएगा।
11	किसी एयरक्राफ्ट हॉट एयर ब्लून, हेलीकॉप्टर गलाडर, पैरासेलिंग,	प्रतिषिद्ध। हालाँकि, वन और वन्यजीव विभाग गैर-वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए डॉक्यूमेंटरी बनाने के लिए वन, पर्यावरण और

	माइक्रोलाइट्स आदि के द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ऊपर से उड़ान भरने जैसे पर्यटन संबंधी कार्यकलापों का निष्पादन।	वन्यजीव संरक्षण के संबंध में जागरूकता पैदा करने हेतु ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं।
12.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	प्रतिषिद्ध।
13.	ज्वलनोपयोगी लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
14.	किसी भी खतरनाक पदार्थ का उपयोग या उत्पादन।	प्रतिषिद्ध।
	विनियमित क्रियाकलाप	
15.	होटल और रिसॉर्ट की व्यावसायिक स्थापना।	संरक्षित क्षेत्र से एक किलोमीटर की सीमा के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतम हो, केवल पारिस्थितिकी-पर्यटन संबंधी कार्यकलापों के लिए छोटे अस्थायी ढांचों को छोड़कर; नए वाणिज्यिक होटल और रिसॉर्ट तथा उनके विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी, बशर्ते कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतम हो, सभी नई पर्यटन संबंधी कार्यकलाप या मौजूदा गतिविधियों में वृद्धि, पर्यटन संबंधी मास्टर प्लान और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
16.	निर्माण संबंधी कार्यकलाप।	क. संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतम हो, किसी भी प्रकार के नए व्यावसायिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी: बशर्ते कि, स्थानीय लोगों को स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भवन उप-नियमों के अनुसार पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध कार्यकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि पर निर्माण कार्य करने की अनुमति होगी: ख. एक किलोमीटर बाहर इसे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
17.	प्रदूषण न फैलाने वाले उद्योग।	फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल प्रदूषण न फैलाने वाले उद्योग और खतरा रहित, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प-कृषि, बागवानी या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से स्वदेशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले कृषि-आधारित उद्योग को लागू नियमों और विनियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति से अनुमत किया जाएगा।
18.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधी केन्द्रीय या राज्य अधिनियमों के

		प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार विनियमित की जाएगी।
19.	वन उपज या काष्ठेतर वन उपज (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
20.	विद्युत एवं संचार टावरों का निर्माण तथा केबल बिछाना एवं अन्य अवसंरचनाएं।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित। बिजली पारेषण लाइनों और केबलों, दूरसंचार टावरों और केबलों के निर्माण/संवर्द्धन और नवीनीकरण की अनुमति होगी। नई भूमिगत केबलिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है।
21.	नागरिक सुविधाओं सहित अवसंरचना।	प्रयोज्य विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा।
22.	मौजूदा सड़कों को चौड़ा एवं सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का निर्माण।	प्रयोज्य विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा। मौजूदा सड़कों को मजबूत बनाने के लिए समुचित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (राज्य वन विभाग और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अनिवार्य रूप से शामिल करते हुए) और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शन संबंधी दस्तावेज़ "वन्यजीवों पर रैखिक अवसंरचना के प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल उपाय" के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
23.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के तहत विनियमित।
24.	रात्रि में वाहनों का आवागमन।	लागू विधियों के तहत विनियमित।
25.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में शोधित अपशिष्ट जल/बहि:स्रावों का विसर्जन।	शोधित अपशिष्ट जल/बहि:स्रावों को जल निकायों में जाने से रोका जाना चाहिए। शोधित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। अन्यथा, शोधित अपशिष्ट जल/बहि:स्रावों के विसर्जन को लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
26.	शहरी एवं भूमिगत जल का व्यावसायिक निष्कर्षण।	(क) केवल कृषि के वास्तविक उपयोग और भूमि के अधिभोगी/स्वामी के घरेलू उपभोग के लिए ही सतही जल और भूमिगत जल के निष्कर्षण की अनुमति दी जाएगी। (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही जल और भूजल का निष्कर्षण, जिसमें निष्कासित की जा सकने वाली मात्रा भी शामिल है, के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण से पूर्व अनुमति और अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार अनुमति की आवश्यकता होगी। (ग) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर किसी भी स्थान पर सतही जल या भूजल की बिक्री प्रतिबंधित है।
27.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए कुआँ, बोरवेल आदि।	विनियमित किया जाना चाहिए और नियामक प्राधिकरण द्वारा गतिविधि की सख्ती से निगरानी की जानी चाहिए। दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए कुओं को ढकने के उपाय किए जाने चाहिए।

28.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन.	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी कार्यकलाप	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
30.	वाणिज्यिक पशुधन और मुर्गीपालन फार्मों की स्थापना।	स्थानीय किसानों द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन के समुचित सावधानियों के साथ लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
31.	दुकानदारों द्वारा पॉलिथीन/प्लास्टिक थैलियों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित, जहां कैरी बैग की मोटाई 120 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए और बिना बुना प्लास्टिक कैरी बैग 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) से कम नहीं होगा।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
32.	वर्षा जल एकत्रण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	सभी कार्यकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	स्थानीय समुदायों में प्रचलित कृषि और बागवानी संबंधी कार्य प्रथाएँ	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। हालाँकि, इनमें से कुछ कार्याकलापों के अत्यधिक विस्तार को मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ईंधन का उपयोग।	बायो गैस, सौर ऊर्जा, सीएनजी, एलपीजी आदि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पर्यावरण-अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	अवक्रमित भूमि/वन/पर्यावास की पुन:बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरण जागरूकता.	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. निगरानी समिति:- केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित एक समिति होगी जिसे निगरानी समिति के नाम से जाना जाएगा, जिसमें नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, नामत:-

1.	कलेक्टर/उपायुक्त, पुलवामा	अध्यक्ष *'पदेन';*
2.	क्षेत्रीय अधिकारी, जम्मू और कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य *'पदेन';*
3.	वन्यजीव/पर्यावरण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि, जिसे जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा हर तीन वर्ष में समय-समय पर नामित किया जाएगा।	सदस्य;
4.	कश्मीर सरकार द्वारा हर तीन वर्ष में समय-समय पर एक पारिस्थितिकी और पर्यावरण विशेषज्ञ को नामित किया जाएगा।	सदस्य;

5.	प्रभागीय वन अधिकारी, अवंतीपोरा	सदस्य *'पदेन';*
6.	वन्यजीव वार्डन, शोपियां डिवीजन	सदस्य सचिव, *'पदेन'*

6. निगरानी समिति के कार्य - निगरानी समिति इस अधिसूचना के प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करेगी:

(1) निगरानी समिति, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर , भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ. 1553 (ए), दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में शामिल तथा जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में आने वाले हैं, कार्यकलापों की *जांच* करेगी, सिवाय इसके पैराग्राफ 4 के अंतर्गत तालिका में निर्दिष्ट निषिद्ध गतिविधियों के, तथा उक्त अधिसूचना के प्रावधानों के तहत पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए, जैसा भी मामला हो, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को संदर्भित किया जाता है।

(2) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ. 1533 (ए), दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में शामिल न किए गए कार्यकलाप *और* पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में आने वाले कार्यकलाप, पैरा 4 के अंतर्गत तालिका में विनिर्दिष्ट प्रतिबंधित कार्यकलापों को छोड़कर, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर निगरानी समिति द्वारा जांच की जाएगी और संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजी जाएगी।

(3) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक, इस अधिसूचना के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(4) निगरानी समिति मामला-दर-मामला आधार पर आवश्यकताओं के आधार पर अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग से प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों या संबंधित सहभागियों से प्रतिनिधि को आमंत्रित कर सकती है।

(5) यह निगरानी समिति 31 मार्च तक की अवधि के लिए अपने कार्यकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को इस अधिसूचना से संलग्न **अनुलग्नक-V** में निर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार, निगरानी समिति को उसके कार्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकेगी, जो वह उचित समझे।

7. अतिरिक्त उपाय- केन्द्र सरकार और राज्य सरकार इस अधिसूचना के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हो, निर्दिष्ट कर सकती है।

8. सर्वोच्च न्यायालय आदि के आदेश- इस अधिसूचना के प्रावधान भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए जा सके या पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन होंगे।

अनुलग्नक- I

त्राल वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण

बिंदु	**अक्षांश**	**देशान्तर**	**विवरण**
टी10	34° 2' 44.631" उ	75° 7' 51.141" पूर्व	वन परिसर 20एन
टी11	34° 2' 58.543" उ	75° 9' 41.344" पूर्व	सीओ 21/ त्राल वन क्षेत्र, पम्बाच खोड़
टी12	34° 1' 27.882" उ	75° 10' 49.018" पूर्व	सीओ 14/ त्राल वन क्षेत्र
टी14	33° 57' 32.762" उ	75° 8' 52.391" पूर्व	खलील गांव
टी17	33° 52' 21.670" उ	75° 10' 33.610" पूर्व	खिरम बंजर भूमि
टी18	33° 49' 0.150" उ	75° 14' 1.532" पूर्व	गुंड-ए-सिलिगोम लिद्दर नाला
टी22	34° 5' 44.094" उ	75° 8' 31.939" पूर्व	दाचीगाम एनपी सीमा
टी24	34° 5' 43.526" उ	75° 2' 16.668" पूर्व	दाचीगाम एनपी सीमा
टी1	34° 4' 51.714" उ	75° 1' 49.955" पूर्व	बुर्जावास वन

टी23	34° 6' 25.798" उ	75° 3' 48.277" पूर्व	दाचीगाम एनपी सीमा
टी21	34° 1' 35.515" उ	75° 14' 10.813" पूर्व	ओवेरा-अरु WLS सीमा
टी -20	33° 57' 8.040" उ	75° 13' 32.532" पूर्व	ओवेरा डब्ल्यूएलएस सीमा
टी19	33° 56' 30.547" उ	75° 13' 59.550" पूर्व	कोलूर वन
टी16	33° 50' 38.734" उ	75° 7' 15.598" पूर्व	ओपन स्क्रब शालागुल
टी15	33° 52' 37.979" उ	75° 5' 0.439" पूर्व	स्क्रब एरिया बट्स
टी13	33° 59' 32.259" उ	75° 11' 11.704" पूर्व	निशात सी.आर.
टी7	33° 58' 50.663" उ	75° 5' 1.870" पूर्व	हुंडुर रोड
टी -4	34° 0' 1.545" उ	75° 1' 0.309" पूर्व	खुला स्क्रब वुस्टरवान
टी2	34° 3' 59.623" उ	75° 2' 18.451" पूर्व	नागंदर वन
टी3	34° 1' 32.777" उ	75° 1' 41.557" पूर्व	बादलाओ ख़ेव सी.आर. सीमा
टी6	33° 57' 50.300" उ	75° 2' 12.931" पूर्व	ख़ेव सी.आर. सीमा
टी8	34° 1' 14.497" उ	75° 4' 34.556" पूर्व	खानगुंड
टी9	34° 2' 24.485" उ	75° 4' 40.473" पूर्व	गुटुरु गांव
टी5	33° 59' 4.160" उ	75° 0' 10.787" पूर्व	गोसाईं ओपन स्क्रब

अनुलग्नक- I क

विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण

दिशा	सीमा विवरण	पीए सीमा से दूरी (किमी में)	भू-निर्देशांक	
			अक्षांश	देशान्तर
उत्तर	दाचीगाम एनपी सीमा	0	34° 5' 44.094" उ	75° 8' 31.939" पू
उत्तर-पूर्व	ओवेरा-अरु WLS सीमा	0	34° 1' 35.515" उ	75° 14' 10.813" पू
पूर्व	कोलूर वन	01	33° 56' 30.547" उ	75° 13' 59.550" पू
दक्षिण-पूर्व	गुंड-ए-सिलिगोम , लिद्दर नाला	01.38	33° 49' 0.150" उ	75° 14' 1.532" पू
दक्षिण	शालगुल	01	33° 50' 38.734" उ	75° 7' 15.598" पू
दक्षिण-पश्चिम	बुट्स	01	33° 52' 37.979" उ	75° 5' 0.439" पू
पश्चिम	वुस्टरवान	03.26	34° 0' 1.545" उ	75° 1' 0.309" पू
उत्तर-पश्चिम	नागंदर वन	01	34° 3' 59.623" उ	75° 2' 18.451" पू

त्राल वन्यजीव अभयारण्य सीमा के भू-निर्देशांक

दिशा	स्थान	भू-निर्देशांक	
		अक्षांश	देशान्तर
उत्तर	गगयारी	34° 06' 35.809" उ	75° 03' 42.376" पू
उत्तर-पूर्व	वेहा गुल	34° 04' 10.313" उ	75° 12' 15.215" पू
पूर्व	गंडापाथर	34° 01' 17.364" उ	75° 14' 00.051" पू
दक्षिण पूर्व	त्सुरु पैंटसल	33° 57' 17.826" उ	75° 13' 36.699" पू
दक्षिण	अशदर	33° 49' 25.897" उ	75° 13' 37.829" पू
दक्षिण-पश्चिम	कमला	33° 52' 44.508" उ	75° 05' 35.923" पू
पश्चिम	ज़म्पाथर	34° 00' 27.029" उ	75° 10' 20.771" पू

अनुलग्नक- II

प्रमुख स्थान के अक्षांश और देशांतर के साथ त्राल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का स्थान मानचित्र

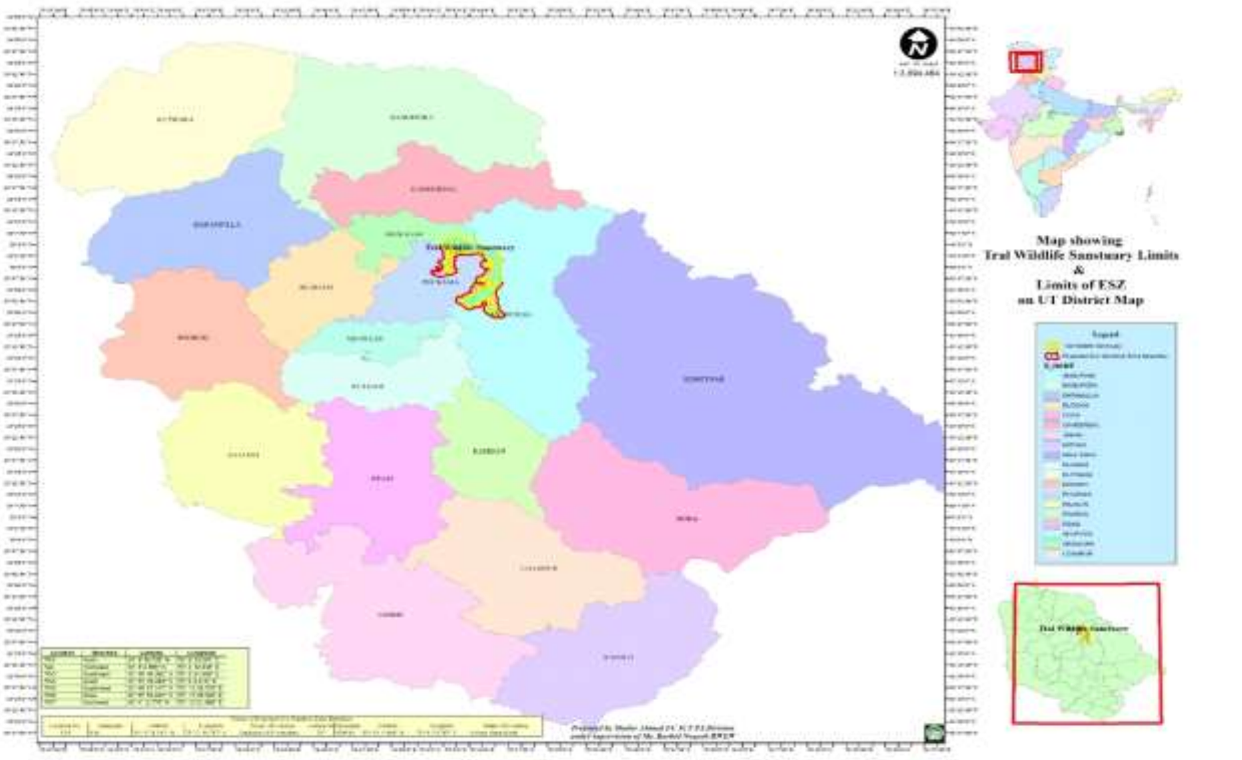

अनुलग्नक-IIक

प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

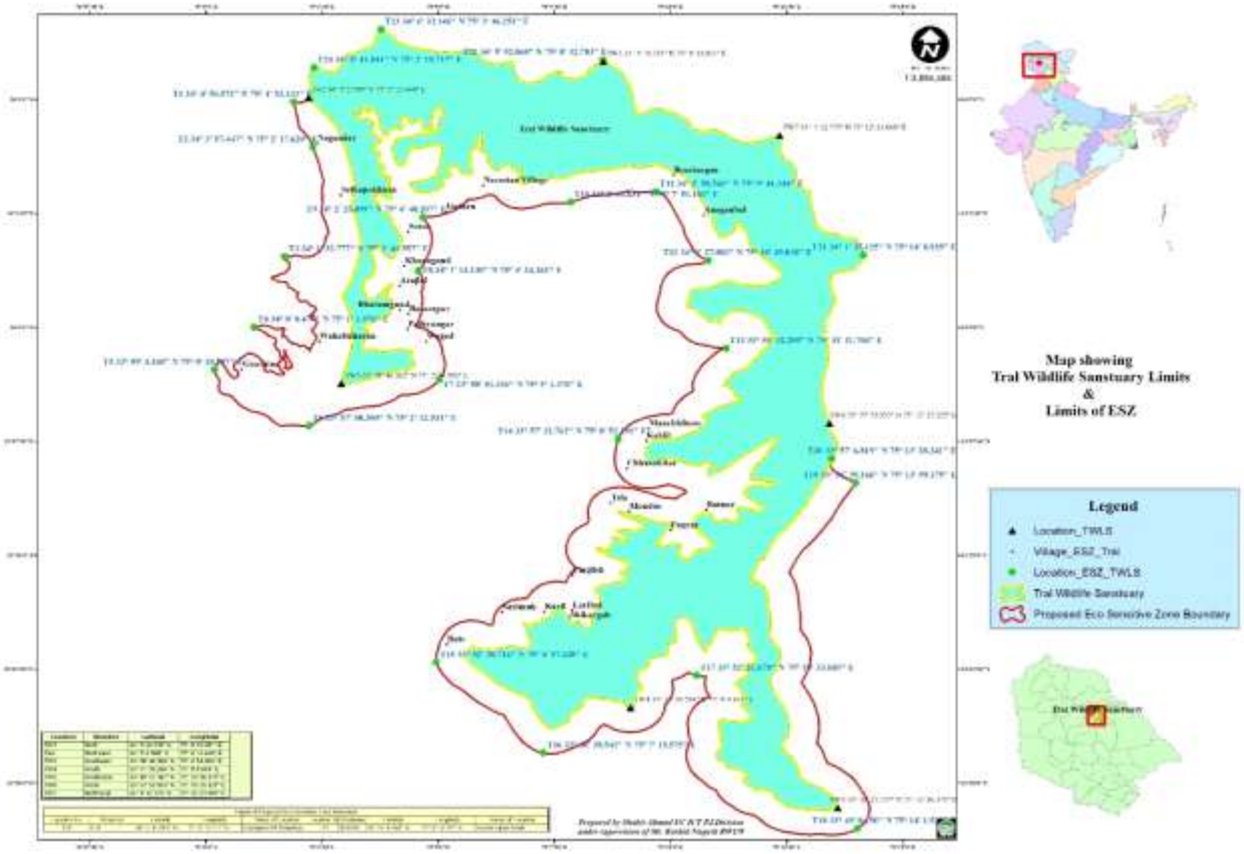

अनुलग्नक-IIख

प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांक और सीमा विवरण के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

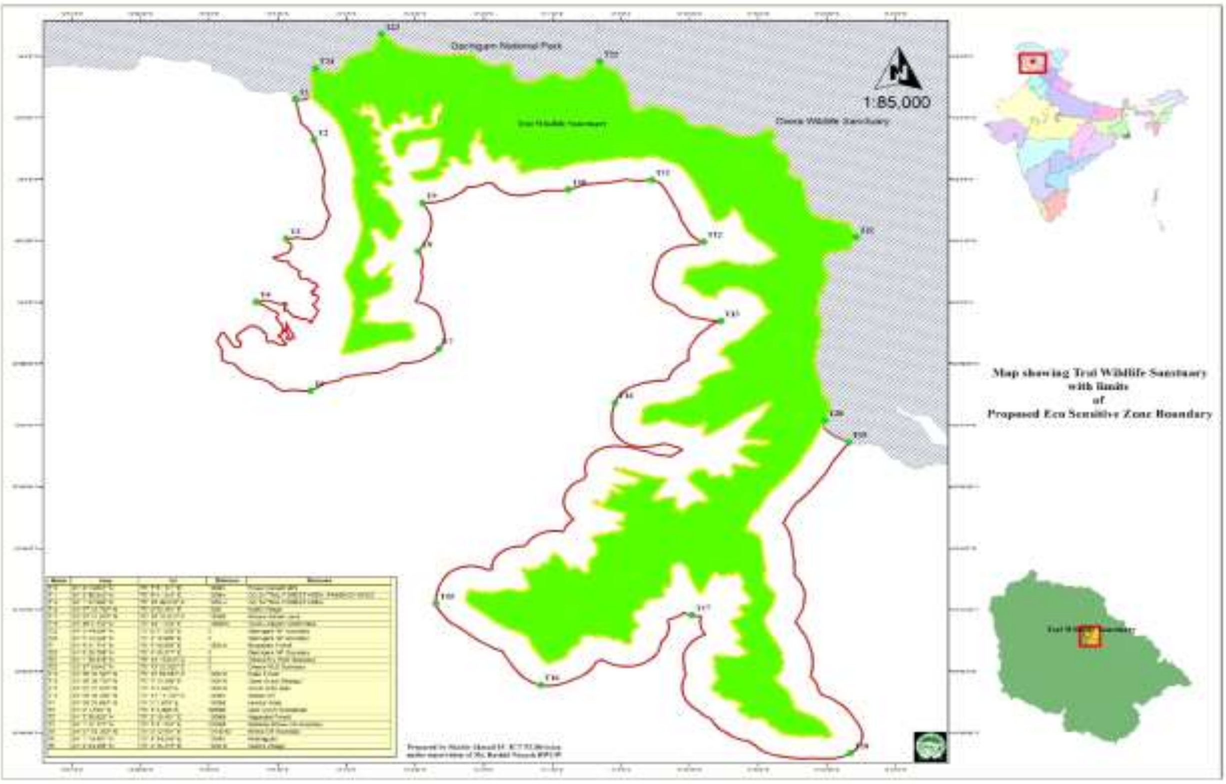

अनुलग्नक-IIग

गूगल अर्थ मानचित्र पर ट्राल वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाएं और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के साथ-साथ प्रमुख बिंदु दर्शाए गए हैं

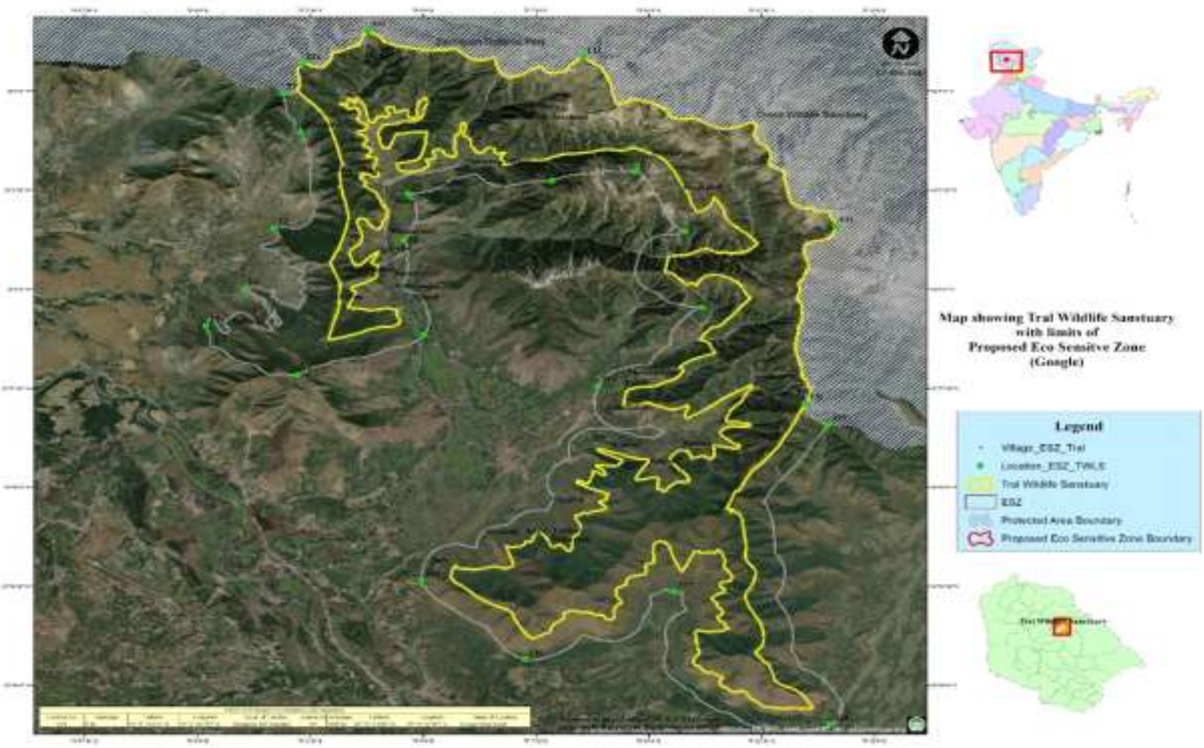

अनुलग्नक-II घ

प्रमुख बिन्दुओं के भू-निर्देशांक के साथ-साथ वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का टोपोशीट मानचित्र

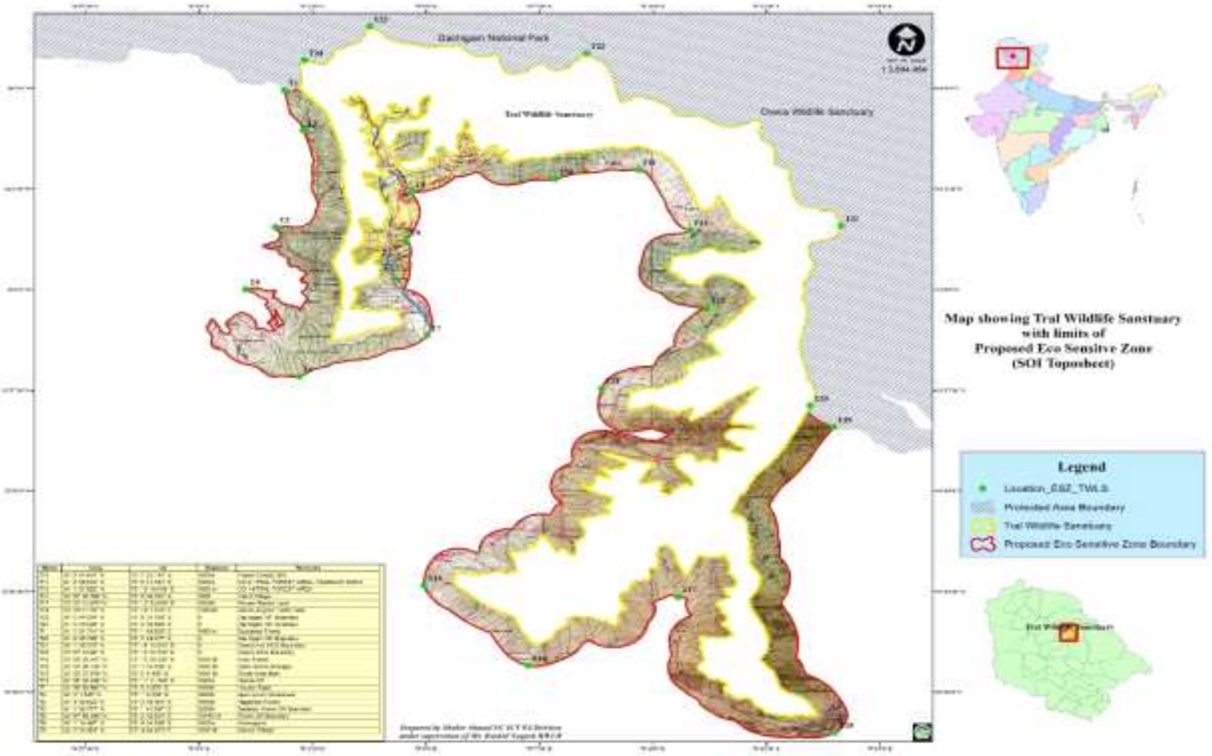

अनुलग्नक-II ङ.

त्राल वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग भूमि कवर मानचित्र

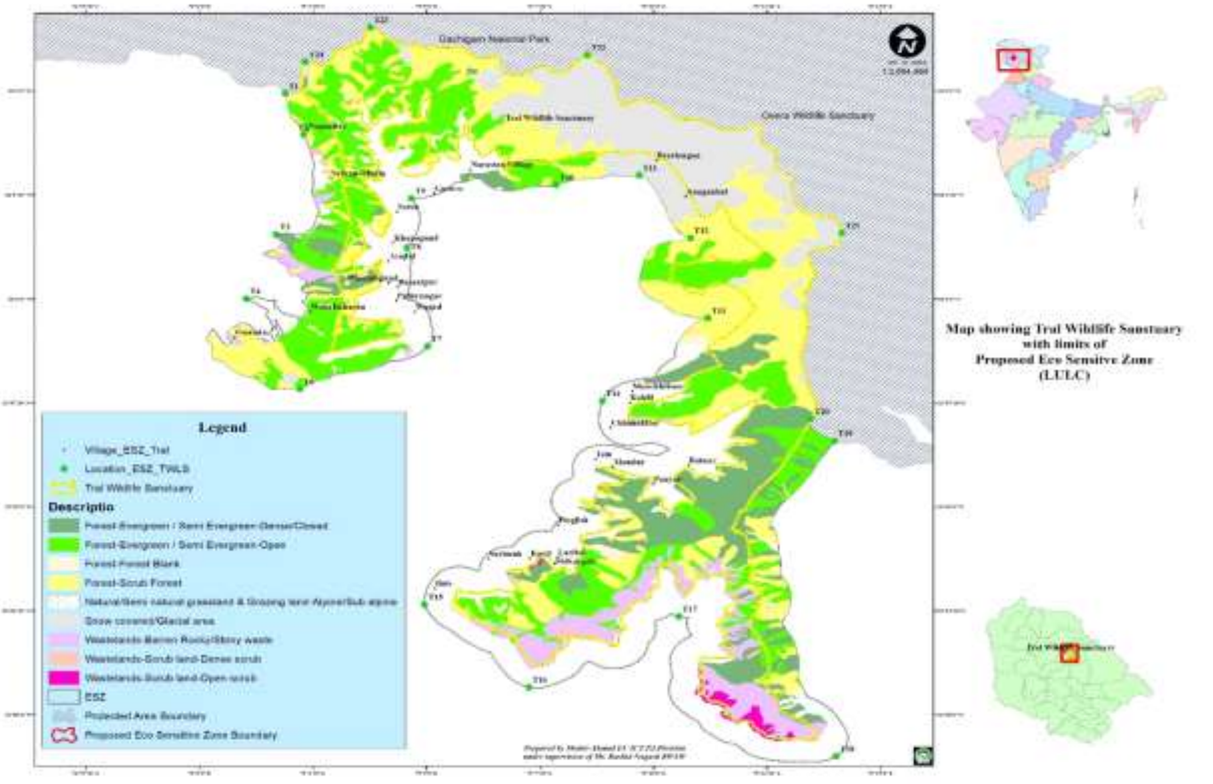

अनुलग्नक-II च

त्राल वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का वन प्रकार मानचित्र

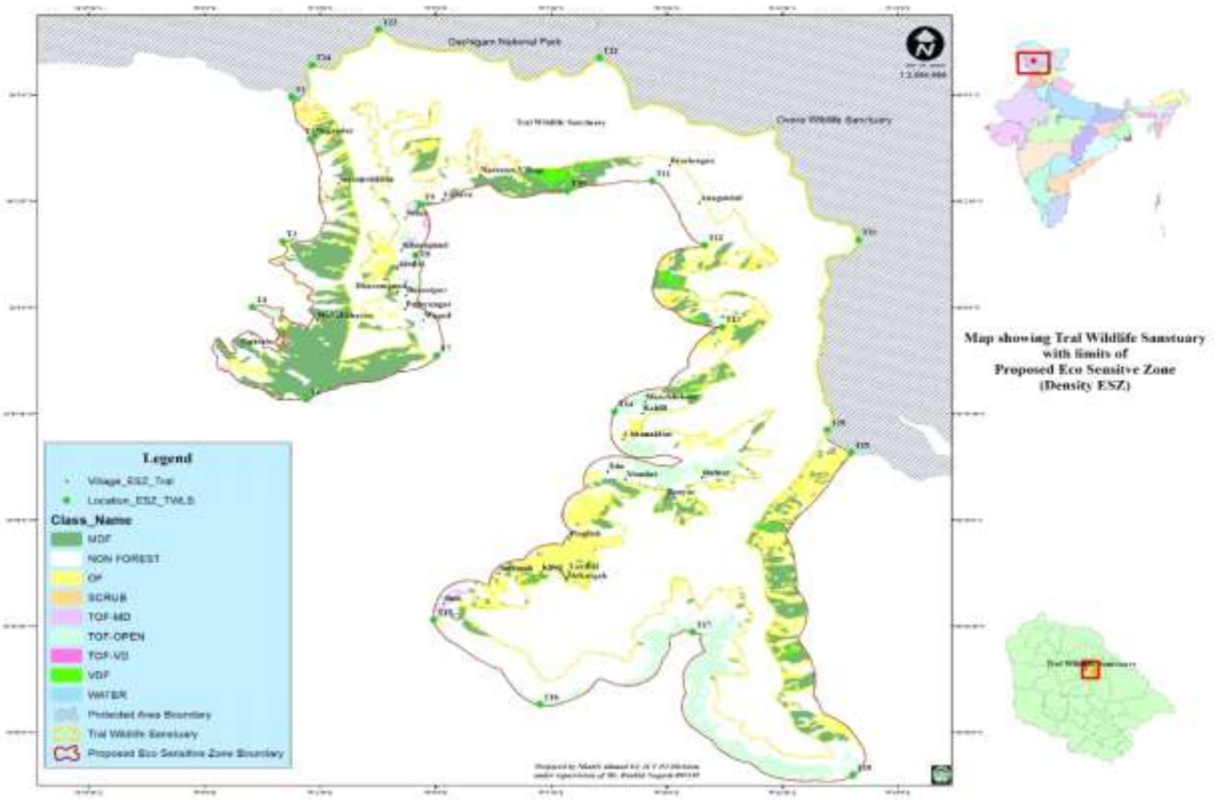

अनुलग्नक-II छ

त्राल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर पड़ने वाले गांवों की अवस्थिति

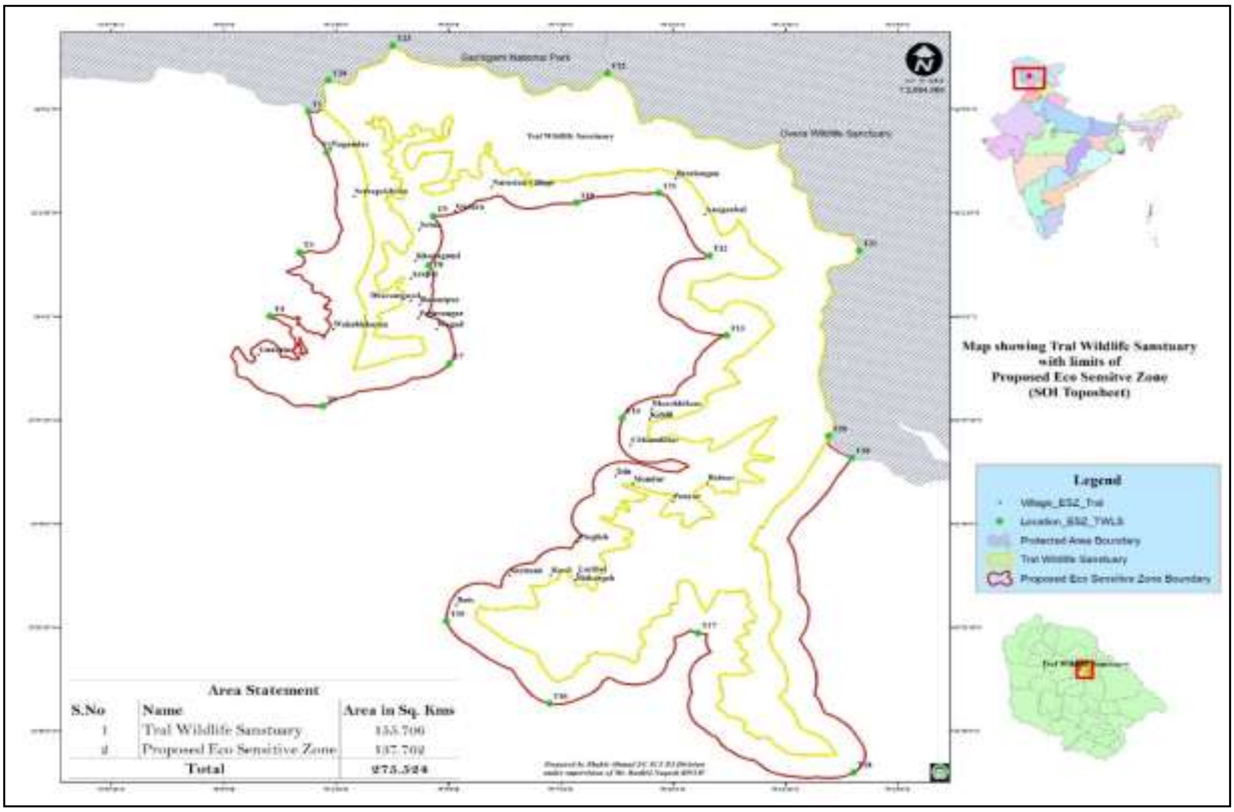

अनुलग्नक-III

क्षेत्र के अंदर आने वाले गांवों की सूची और भू-निर्देशांक

क्र.सं.	गाँव	ज़िला	तहसील	अक्षांश (उत्तर)	देशांतर (पूर्व)
01	नागंदर	पुलवामा	पंपोर	34° 2'54.93"	75° 2'47.27"
02	सेठपोखरण	पुलवामा	पंपोर	34° 0'49.30"	75° 1'40.98"
03	वहाबख़ारूण	पुलवामा	पंपोर	33°59'42.79"	75° 1'58.61"
04	वागड़	पुलवामा	अरिपाल	33°59'51.31	75° 4'50.89
05	बसंतपुर	पुलवामा	अरिपाल	34° 0'11.92"	75° 4'45.29"
06	धरमगुंड	पुलवामा	अरिपाल	33°59'53.16"	75° 4'49.24"
07	अरिपाल	पुलवामा	अरिपाल	34° 1'2.32"	75° 4'15.47"
08	खानगुंड	पुलवामा	अरिपाल	34° 1'35.64"	75° 4'23.29"
09	सतुरा	पुलवामा	अरिपाल	34° 2'23.46"	75° 4'26.89"
10	गुट्टरू	पुलवामा	अरिपाल	34° 2'43.11"	75° 5'27.26"
11	नरास्तान	पुलवामा	अरिपाल	34° 3'18.62"	75° 6'0.80"
12	मंचिहामा	पुलवामा	त्राल	33°57'43.77"	75° 9'44.87"
13	खलील	पुलवामा	त्राल	33°57'45.11"	75° 9'2.45"
14	छनाकीतार	पुलवामा	त्राल	33°57'4.04"	75° 9'11.67"
15	चेवा उल्लुर	पुलवामा	त्राल	33°56'20.51"	75° 8'52.36"
16	बथनूर	पुलवामा	त्राल	33°56'11.05"	75°10'50.02"
17	मोंडुरा	पुलवामा	त्राल	33°56'2.14"	75° 9'10.01"
18	पन्नियर	पुलवामा	त्राल	33°55'41.85"	75°10'5.10"
19	पिंगलिश	पुलवामा	त्राल	33°54'46.03"	75° 7'46.13"
20	लारिबाल	पुलवामा	त्राल	33°54'6.73"	75° 8'0.96"
21	शिकारगाह	पुलवामा	त्राल	33°53'51.50"	75° 7'58.10"
22	सैमूह	पुलवामा	त्राल	33°53'41.39"	75° 6'26.50"
23	बुच्चू	पुलवामा	त्राल	33°53'17.44"	75° 5'21.99"
24	संगनार	अनंतनाग	सालार	33°53'16.42"	75° 10'08.79"
25	पनार	अनंतनाग	सालार	33°53' 14.22"	75° 11'16.57"
26	साखरा	अनंतनाग	श्रीगुफवाड़ा	33°49' 4.82"	75° 13'16.51"

अनुलग्नक- IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर आने वाले गांवों का जनसांख्यिकीय पैटर्न

त्राल वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भीतर 26 बड़े/राजस्व गांव हैं, जिनकी अनुमानित मानव जनसंख्या लगभग 45000 है। 2011 की जनगणना/संबंधित चौकीदार की रिपोर्ट के अनुसार गांव-वार जनसंख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	गाँव	कुल	एसटी/एससी	पुरुष	महिला	बच्चे (0-6)
01	नागंदर	434	00.00	204	147	83
02	सेठपोखरण	1651	183	651	691	309

03	वहाबख़ारूण	675	125	300	280	95
04	वागड़	1356	0.00	566	566	224
05	बसंतपुर	1132	0.00	590	542	ना
06	धरमगुंड	586	0.00	274	241	71
07	अरिपाल	2159	1	1671	471	117
08	खानगुंड	1765	0.00	808	780	177
09	सतुरा	3429	832	1462	1458	509
10	गुटुरू	1376	496	571	577	228
11	नरास्तान	1356	0.00	689	667	ना
12	मंचिहामा	3510	0.00	1817	1693	ना
१३	खलील	4674	0.00	2410	2264	ना
14	छनाकीतार	635	00.00	336	299	ना
15	त्सुलु	1378	0.00	687	691	ना
16	बथनूर	3517	589	1131	1031	355
17	मोंडारा	2068	5	885	913	270
18	पन्नियर	253	ना	ना	ना	ना
19	पिंगलिश	2869	0.00	1251	1280	338
20	लारिबाल	829	0.00	319	308	101
21	शिकारगाह	996	0.00	439	443	114
22	सैमूह	3111	0.00	1470	1310	331
23	संगनार	2057	777	904	772	381
22	पनार	905	ना	ना	ना	ना
25	अशदर	750	ना	ना	ना	ना
26	साखरा	1819	0.00	791	821	207

कृषि (मुख्यतः बागवानी) इन गांवों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय और आय का स्रोत है।

अनुलग्नक-V

त्राल वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाने वाले स्तनधारियों और पक्षियों की सूची

(क) जीवजंतु

त्राल वन्यजीव अभयारण्य और आस-पास के क्षेत्रों में स्तनधारियों की लगभग 15 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें कुछ दुर्लभ प्रजातियाँ भी शामिल हैं। इन स्तनधारी प्रजातियों में शामिल हैं:

1. कश्मीरी लाल हिरण *(सर्वस हांगलू हांगलू)*
2. कश्मीर कस्तूरी मृग (*मॉस्कस क्यूप्रियस*)
3. एशियाई काला भालू (*उर्सस थिबेटानस*)
4. हिमालयन भूरा भालू (*उर्सस आर्कटोस*)

5. सामान्य तेंदुआ (*पैंथेरा पार्डस*)

6. तेंदुआ बिल्ली (*प्रियोनैलुरस बंगालेंसिस*)

7. जंगली बिल्ली (*फेलिस चौस*)

8. लाल लोमड़ी (*वुलपेस वल्पेस*)

9. साइबेरियन वीज़ल (*मस्टेला सिबिरिका*)

10. तिब्बती भेड़िया (*कैनिस ल्यूपस*)

11. गोल्डन जैकल (*कैनिस ऑरियस*)

12. पीले गले वाला मार्टन (*मार्टेस फ्लेविगुला*)

13. कश्मीर ग्रे लंगूर (*सेम्नोपिथेकस अजाक्स*)

14. रीसस मैकाक (*मकाका मुलाट्टा*)

15. भारतीय क्रेस्टेड साही (*हिस्ट्रिक्स इंडिका*)

(ख) पक्षी:

अभयारण्य और इसके आसपास के क्षेत्र में 200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

1. गोल्डन ईगल (*एक्विला क्रिस्टोस*)

2. बेयर्डेड गिद्ध (*जिपेटस बार्बेटस*)

3. हिमालयन ग्रिफ़ॉन गिद्ध (*जिप्स हिमालयनसिस*)

4. कश्मीर फ्लाईकैचर (*फिसेडुला सुबरूबरा*)

5. ब्लैक-थ्रोएटेड एक्सेन्टोर (*प्रुनेला एट्रोगुलरिस*)

6. ऑरेंज बुलफिंच (*पाइरहुला ऑरेंटियाका*)

7. कश्मीर नटहैच (*सिट्टा कैशमिरेन्सिस*)

8. चेस्टनट थ्रश (*टर्डस रूब्रोकैनस*)

9. कॉमन रोज़फिंच (*कार्पोडाकस एरिथ्रिनस*)

10. यूरोपीय रोलर (*कोरासियस गैरुलस*)

11. यूरोपीय बी-ईटर (*मेरॉप्स एपीयास्टर*)

12. चेस्टनट-ईयर्ड बंटिंग (*एम्बेरिज़ा फ्यूकाटा*)

13. पाइन बंटिंग (*एम्बेरिज़ा ल्यूकोसेफालोस*)

14. रॉक बंटिंग (*एम्बेरिज़ा सीआ*)

15. काला और पीला ग्रोसबीक (*माइसेरोबास इक्टेरियोइड्स*)

अनुलग्नक- VI

की गई कार्रवाई रिपोर्ट का प्रारूप:

1. बैठकों की संख्या और तिथि.

2. बैठक के कार्यवृत्त: मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें। बैठक के कार्यवृत्त को अलग अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।

3. पर्यटन मास्टर प्लान सहित क्षेत्रीय मास्टर प्लान की तैयारी की स्थिति ।

4. भूमि अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि के सुधार के लिए निपटाए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अनुसार)। विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जाए।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत शामिल गतिविधियों के लिए जांच किए गए मामलों का सारांश। विवरण अलग अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जाए।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत शामिल नहीं की गई गतिविधियों के लिए जांच किए गए मामलों का सारांश। विवरण अलग अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जाए।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत दर्ज शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

[फा. सं. 25/2/2023-ईएसजेड]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक-जी

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2024

S.O. 4325(E).—The following draft notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Tral Wildlife Sanctuary lies about 45 km South-east of Srinagar city. It falls in the Pulwama District of the Kashmir Valley with the district Headquarter Pulwama at a distance about 30 km. The nearest airport, Srinagar is 50 km and the nearest railhead, Awantipora is 15 km away from the Sanctuary.

AND WHEREAS, historically, parts of the protected area, namely Shikargah and Khangund (previously designated as Conservation Reserves), have the distinction of being among the oldest notified protected areas in the country. Their notification dates back to 1945, when they were governed by the game laws of the Maharajah of the erstwhile princely state of Jammu & Kashmir. Therefore, in 2019, these Conservation Reserves, along with the adjoining areas comprising territorial forest compartments, were upgraded to a Wildlife Sanctuary. The sanctuary, spread over the rugged and undulating terrain of the Greater Himalayan Mountains, encompasses an area of around 155 square kilometers and came into existence through State Government Notification No. FST/WL/07/2018 (SRO-639), dated the 23rd of October 2019.

AND WHEREAS, the Tral Wildlife Sanctuary and adjoining areas fall within the distribution range of the Kashmir Red Deer (Hangul), a Schedule I species as per the Wildlife (Protection) Act, 1972, and designated as 'critically endangered' in the IUCN Red Data Book. The distribution of the Hangul is restricted to Dachigam National Park and a few adjoining areas only. The Tral Wildlife Sanctuary is among the few areas outside Dachigam National Park where a population of this critically endangered deer still survives. Besides Dachigam, the sanctuary is connected with other important wildlife areas, such as Overa-Aru Wildlife Sanctuary and Khrew Conservation Reserve. These protected areas together form a landscape of rich biodiversity and support good populations of some important and endemic species of animals, birds, and vegetation.

AND WHEREAS, the Tral Wildlife Sanctuary is home to various endemic species like Kashmir Red Deer (*Cervus hanglu hanglu*), Kashmir Musk Deer (*Moschus cupreus*) and Kashmir Gray Langur (*Semnopithecus ajax*). While other Rare, Endangered and Threatened species found in the sanctuary are Common Leopard *(Panthera pardus)*, Himalayan Griffon Vulture (*Gyps himalayensis*), Bearded Vulture (*Gypaetus barbatus*) and Kashmir Flycatcher (*Ficedula subrubra*). The Tral forests are blessed with numerous plant species of great medicinal value like *Aconitum heterophyllum*, *Arnebia benthamii*, *Artemisia absinthium*, *Berberis lycium*, *Bergenia ciliata*, *Datura stramonium*, *Dioscorea deltoidea*, *Lavatera cashmeriana*, *Saussurea costus* and *Taxus wallichiana*.

AND WHEREAS, the Tral Wildlife Sanctuary falls under the 2A province of biogeographic classification as suggested by Rodgers et al. According to the classification by Champion and Seth (1968), the vegetation of the Sanctuary is typically Himalayan moist temperate forest, sub-alpine forest, and alpine forest types. The vegetation types of the Tral Wildlife Sanctuary are determined by the habitat, form, and density of the dominant floral species. The major vegetation types are:"

1. **Riverine: (1600-2300m):** This type of vegetation occurs at lower altitudes and is dominated by broad-leaved species of *Aesculus indica, Fraxinus hookeri, Parrotiopsis jacquemontiana*, and *Juglans regia*. The dominant shrubs include *Indigofera heterantha, Lonicera species, Viburnum, Skimmia laurel, Jasminum* species etc.

2. **Coniferous Forests: (2300-3000m):** This type of forest consists of Blue Pine (*Pinus wallichiana*) and Fir (*Abies pindrow*) as dominant species, found in association with Spruce (*Picea smithiana*) at an altitude of 2300m. The woodland also occupies sides of nallahs at some places.

3. **Alpine Scrubs and Pastures: (3000-3500m):** This type of forest consists of treeless pastures having scattered scrub vegetation. Birch (*Betula utilis*) is the most dominant species of this area near the tree line associated with *Juniperus recurva*, Rhododendron species, Viburnum species, Lonicera species and Primula at shady places. The extensive alpine meadows above the tree line known as 'Margs' bear a luxuriant growth of perennial herbs and grasses. The dominant shrub species here are Myosotis species, Cynoglossum species etc. *Betula utilis* is found dotted at some places.

4. **Rock Faces: (above 3500m):** The rocky cliffs and hill tops are dominated by dwarf evergreen shrubs including *Juniperus recurva*, *Rhododendron anthopogon* etc. associated with herbs, *Stachys sericea, Sieversia elata* and *Veronica melissifolia*.

AND WHEREAS, the Tral Wildlife Sanctuary forms an important corridor for the movement of Hangul. The declaration of the eco-sensitive zone shall help in creating a buffer around the sanctuary area leading to a secure, suitable and viable habitat for the last remnant Hangul population.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of zero to 03.26 km from the boundary of Tral Wildlife Sanctuary in the Union Territory of Jammu and Kashmir as Tral Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter after referred to as Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone-**

(1) The extent of the Eco-Sensitive Zone around the Tral Wildlife Sanctuary ranges from **0.00 km to 3.26 km** from its boundary, encompassing an area of **127.10 square kilometers**, which includes 26 villages. The specific extent of the ESZ in different directions is provided below:

Direction	Extent (in Km)	Coordinates	
		Latitude	Longitude
North (T22)	0	34° 5' 44.094" N	75° 8' 31.939" E
Northeast (T21)	0	34° 1' 35.515" N	75° 14' 10.813" E
East (T19)	01	33° 56' 30.547" N	75° 13' 59.550" E
Southeast (T18)	01.38	33° 49' 0.150" N	75° 14' 1.532" E
South (T16)	01	33° 50' 38.734" N	75° 7' 15.598" E
Southwest (T15)	01	33° 52' 37.979" N	75° 5' 0.439" E
West (T4)	03.26	34° 0' 1.545" N	75° 1' 0.309" E
Northwest (T2)	01	34° 3' 59.623" N	75° 2' 18.451" E

The minimum Zero km extent of the ESZ from the boundary of the Tral Wildlife Sanctuary is due to the fact that it shares common boundary with other protected areas namely Dachigam National Park and Overa-Aru Wildlife Sanctuary.

(2) The boundary description of the Tral Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure-I.**

(3) Boundary description of Eco-Sensitive Zone in different directions along with geo-coordinates of Tral Wildlife Sanctuary boundary is appended as **Annexure- IA.**

(4) The various maps of Eco-Sensitive Zone overlaid on google earth imagery, toposheet is appended as **Annexure- II** to **Annexure- IIG**.

(5) List of villages falling inside ESZ and demographic pattern is appended as **Annexure- III** & **Annexure-IV** respectively.

(6) The list of mammals and birds found in the Tral Wildlife Sanctuary is appended as **Annexure - V**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone - (1) The Union Territory Government shall, for the purposes of the Eco-Sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the Union Territory.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the Union Territory Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and Union Territory laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the Union Territory Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment;

(ii) Forests;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation & Flood Control;

(ix) Pollution Control Board;

(x) Municipality;

(xi) Panchayati Raj; and

(xii) Public Works Department

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the Union Territory Government of J&K- The Union Territory Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -

\

(1) Land use: (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas along with parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial, residential, or industrial activities.

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified in clause (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or Union Territory Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as: -

i. widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

ii. construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

iii. small scale industries not causing pollution;

iv. cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting ecotourism including home stay; and

v. promoted activities and concerned regulated activities given in paragraph 4;

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the Union Territory Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007);

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the respective Union Territory Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change;

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) Natural Water Bodies & Springs -The catchment areas of all natural springs/rivers/channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the Union Territory Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas as which are detrimental to such areas.

Extraction of ground water shall be permitted for only bonafide agricultural and domestic consumption of the owner/ occupier of the land. All measures shall be taken to prevent contamination or pollution of water source from any commercial/ agricultural or livestock operations.

(3) Tourism/Eco-Tourism - (a) All new eco-tourism, tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with Environment & Forest Department of Union Territory Government.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan and it shall be based on the carrying capacity studies of the Eco-Sensitive Zone.

(d) The activity of eco-tourism shall be regulated as under, namely: -

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 kilometer from the boundary of the Wildlife Sanctuary or up to the extent of the ESZ whichever is nearer.

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas only for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the eco-tourism guidelines issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change in 2018 and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) Until the Zonal Master Plan is prepared and approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site-specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) Natural Heritage - All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the Gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites - Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-Sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise Pollution - Prevention and Control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and as amendments thereto.

(7) Air Pollution - Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981), published by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide notification number G.S.R. 351 (E), dated the 15th May, 1981 and the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under.

(8) Discharge of Effluents - Discharge of untreated effluent and sewage is prohibited. The discharge of treated effluent in the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), published by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide notification number G.S.R. 58 (E), dated the 27th February, 1975 and the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under.

(9) Solid wastes – Disposal and Management of solid wastes shall be as under: -

a. The solid waste disposal and management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and as amended from time to time. The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone.

b. Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(**10) Bio-medical waste –** Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 and as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management - The Plastic Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 and as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 and as amended from time to time.

(13) E-waste - The e- Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel such as CNG, LPG, etc.

(16) Industrial units –

a) No new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-Sensitive Zone on or after the publication of this notification in the Official Gazette,

b) Only non-polluting industries shall be allowed within the ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes - The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) Construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone - All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 the rules made there under and other notifications, laws and acts of the Government of India pertaining to environment, forests and wildlife, in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number 1533(E), dated the 14th September, 2006 and laws for the time being in force in the manner and as amended from time to time specified in the Table below, namely:

Serial number	Activities	Remarks
	Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining, Stone Quarrying and Crushing Units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect. Except for meeting the domestic needs of bonafide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-Sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order (s) of the Hon'ble Supreme Court in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012 and IA No. 1000 of 2003 judgment dated the 3rd June, 2022 and subsequent IA No. 131377 of 2022 Judgment dated the 26th April, 2023 and the 28th April, 2023.
2.	Setting up of industries causing pollution. (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric projects.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment/ processing facility of solid waste is permitted within Eco-Sensitive Zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/ hospitals etc. is prohibited.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting of Brick Kilns.	All new and existing brick kiln units are prohibited.
9.	Establishment of large-scale	Prohibited.

	commercial livestock and poultry farms by firms, and companies.	Provided that only small-scale poultry farms by local farmers can be established for sustenance of their livelihood.
10.	New wood-based industries.	No establishment of new wood-based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law and renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry.
11.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the Eco Sensitive Zone area by any Aircraft, Hot Air Balloons, Helicopter, Gliders, Parasailing, Drones, Microlites etc.	Prohibited. However, Forest and Wildlife Departments may use Drones for creating awareness on forest, environment and wildlife conservation for making documentaries for non-commercial purpose.
12.	Introduction of exotic species.	Prohibited.
13.	Commercial use of Firewood.	Prohibited.
14.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited.
	Regulated Activities	
15.	Commercial establishment of hotels and resorts.	New commercial hotels and resorts along with their expansion shall not be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures only for eco-tourism activities; Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
16.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
17.	Non-polluting industries.	Only non-polluting industries termed as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations.
18.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
19.	Collection of forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated as per applicable laws.
20.	Erection of electrical and communication towers and laying of	Regulated as per applicable laws. Construction/Augmentation and renovation of Power

	cables and other infrastructures.	Transmission lines and cables, Telecommunication Towers and cables shall be permitted. New underground cabling may be promoted.
21.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
22.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines. Strengthening of the existing roads shall be done with proper Environmental Impact Assessment (mandatorily involving the State Forest Department and the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change) and mitigation measures as per the guidance document "Eco-Friendly Measures to Mitigate Impacts of Linear Infrastructure on Wildlife." Published by MoEF & CC.
23.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
24.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.
25.	Discharge of treated waste water/ effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/ effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise, the discharge of treated waste water/ effluent shall be regulated as per applicable laws.
26.	Commercial extraction of surface and ground water.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for bonafide agricultural use and domestic consumption of the occupier/owner of the land. (b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted shall require prior permission from the concerned regulatory authority and as per approved master plan. (c) Sale of surface water or ground water to any place outside ESZ is prohibited.
27.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the regulatory authority. Measure shall be taken to cover the wells to prevent accidents.
28.	Solid Waste Management.	Regulated as per applicable laws.
29.	Eco-tourism activities.	Regulated as per applicable laws.
30.	Establishment of commercial livestock and poultry farms.	Regulated as per applicable laws with proper precautions of waste management by local farmers.
31.	Use of polythene/ plastic bags by shopkeepers.	Regulated as per applicable laws, where the thickness of the carry bag should not be less than 120 microns and Non-woven plastic carry bag shall not be less than 60 Gram Per Square Meter (GSM).
Promoted Activities		
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively Promoted.
33.	Organic Farming.	Shall be actively Promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively Promoted.
35.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities	Shall be actively Promoted. However, excessive expansion of some of these activities should be regulated as per the master plan.
36.	Use of renewable energy and clean fuels.	Bio gas, solar light, CNG, LPG etc. to be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively Promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively Promoted.

39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively Promoted.
40.	Environment Awareness.	Shall be actively Promoted.

5. Monitoring Committee: - There shall be a Committee to be known as Monitoring Committee constituted by the Central Government which shall comprise of the following persons specified in the Table below, namely: -

1.	Collector/Deputy Commissioner, Pulwama	Chairman *'ex-officio';*
2.	Regional officer, Jammu and Kashmir Pollution Control Board	Member *'ex-officio';*
3.	Representative of Non-Government Organization working in the field of wildlife/environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Jammu and Kashmir from time to time every three years	Member;
4.	One expert in ecology and environment to be nominated by the Government of Jammu and Kashmir from time to time every three years	Member;
5.	Divisional Forest Officer, Awantipora	Member *'ex-officio';*
6.	Wildlife Warden, Shopian Division	Member Secretary, *'ex-officio'.*

6. Functions of the Monitoring Committee – The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification:

(1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1553 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case-to-case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in proforma specified in **Annexure-V**, appended to this notification.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional Measures- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

Annexure- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE AROUND TRAL WILDLIFE SANCTUARY

Point	Latitude	Longitude	Description
T10	34° 2' 44.631" N	75° 7' 51.141" E	Forest Comptt 20N
T11	34° 2' 58.543" N	75° 9' 41.344" E	CO 21/Tral forest area, Pambach Khod
T12	34° 1' 27.882" N	75° 10' 49.018" E	CO 14/Tral forest area

T14	33° 57' 32.762" N	75° 8' 52.391" E	Kahlil Village
T17	33° 52' 21.670" N	75° 10' 33.610" E	Khiram Barren Land
T18	33° 49' 0.150" N	75° 14' 1.532" E	Gund-i-siligom Lidder Nala
T22	34° 5' 44.094" N	75° 8' 31.939" E	Dachigam NP Boundary
T24	34° 5' 43.526" N	75° 2' 16.668" E	Dachigam NP boundary
T1	34° 4' 51.714" N	75° 1' 49.955" E	Burzawas Forest
T23	34° 6' 25.798" N	75° 3' 48.277" E	Dachigam NP Boundary
T21	34° 1' 35.515" N	75° 14' 10.813" E	Owera-Aru WLS Boundary
T20	33° 57' 8.040" N	75° 13' 32.532" E	Owera WLS Boundary
T19	33° 56' 30.547" N	75° 13' 59.550" E	Kolur Forest
T16	33° 50' 38.734" N	75° 7' 15.598" E	Open Scrub Shalagul
T15	33° 52' 37.979" N	75° 5' 0.439" E	Scrub Area Buts
T13	33° 59' 32.259" N	75° 11' 11.704" E	Nishat CR
T7	33° 58' 50.663" N	75° 5' 1.870" E	Hundur Road
T4	34° 0' 1.545" N	75° 1' 0.309" E	open scrub Wusterwan
T2	34° 3' 59.623" N	75° 2' 18.451" E	Nagandar Forest
T3	34° 1' 32.777" N	75° 1' 41.557" E	Badalao Khrew CR Boundary
T6	33° 57' 50.300" N	75° 2' 12.931" E	Khrew CR Boundary
T8	34° 1' 14.497" N	75° 4' 34.556" E	Khanagund
T9	34° 2' 24.485" N	75° 4' 40.473" E	Guturu Village
T5	33° 59' 4.160" N	75° 0' 10.787" E	Gosain Open Scrub

Annexure- IA

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE IN DIFFERENT DIRECTIONS

Direction	Boundary Description	Distance from PA boundary (in Kms)	Geo-coordinates	
			Latitude	Longitude
North	Dachigam NP boundary	0	34° 5' 44.094" N	75° 8' 31.939" E
Northeast	Overa-Aru WLS boundary	0	34° 1' 35.515" N	75° 14' 10.813" E
East	Kolur Forest	01	33° 56' 30.547" N	75° 13' 59.550" E
Southeast	Gund-i-Siligom, Lidder Nallah	01.38	33° 49' 0.150" N	75° 14' 1.532" E
South	Shalagul	01	33° 50' 38.734" N	75° 7' 15.598" E
Southwest	Buuts	01	33° 52' 37.979" N	75° 5' 0.439" E
West	Wusterwan	03.26	34° 0' 1.545" N	75° 1' 0.309" E
Northwest	Nagander Forest	01	34° 3' 59.623" N	75° 2' 18.451" E

GEO COORDINATES OF TRAL WILDLIFE SANCTUARY BOUNDARY

Direction	Location	Geo-coordinates	
		Latitude	Longitude
North	Gagyari	34° 06' 35.809" N	75° 03' 42.376" E
North-East	Veha Gul	34° 04' 10.313" N	75° 12' 15.215" E
East	Gandapather	34° 01' 17.364" N	75° 14' 00.051" E
South-East	Tsuru Pantsal	33° 57' 17.826" N	75° 13' 36.699" E
South	Ashdar	33° 49' 25.897" N	75° 13' 37.829" E
South-West	Kamla	33° 52' 44.508" N	75° 05' 35.923" E
West	Zampather	34° 00' 27.029" N	75° 10' 20.771" E

Annexure- II

LOCATION MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF TRAL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATION

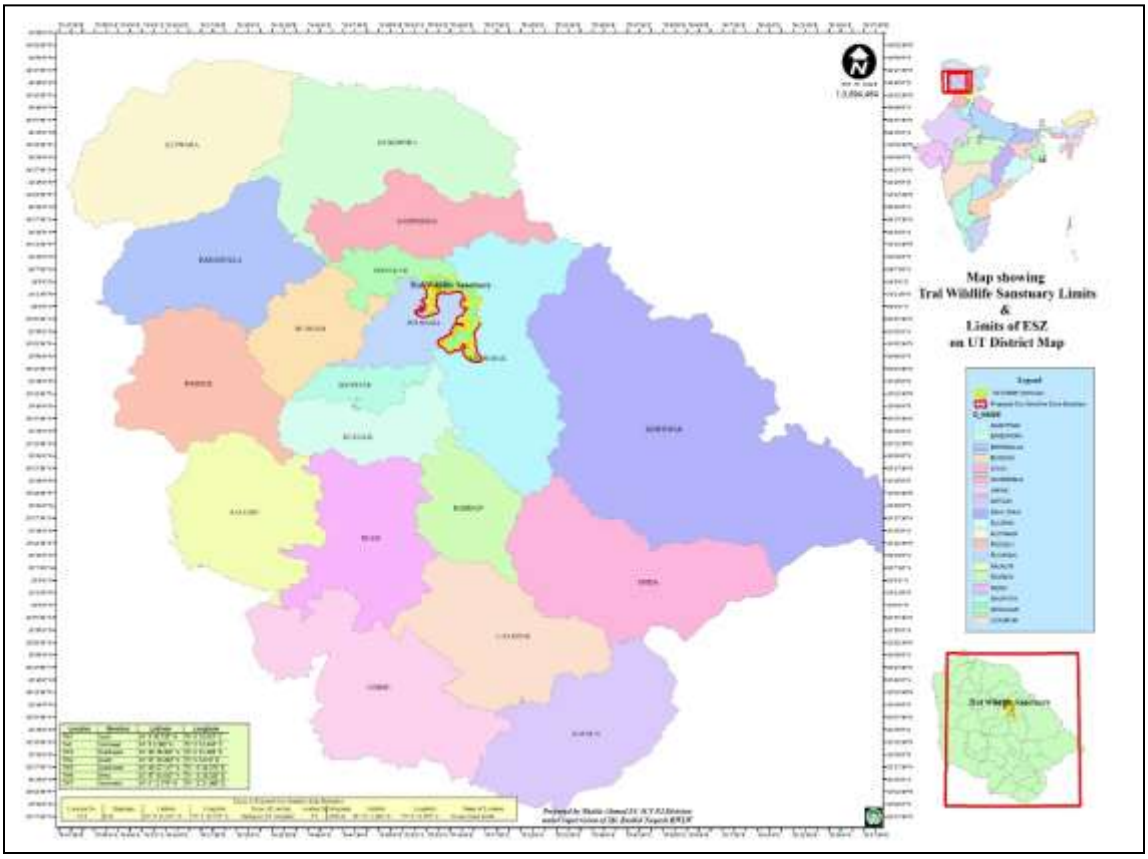

Annexure- IIA

MAP OF THE ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATION

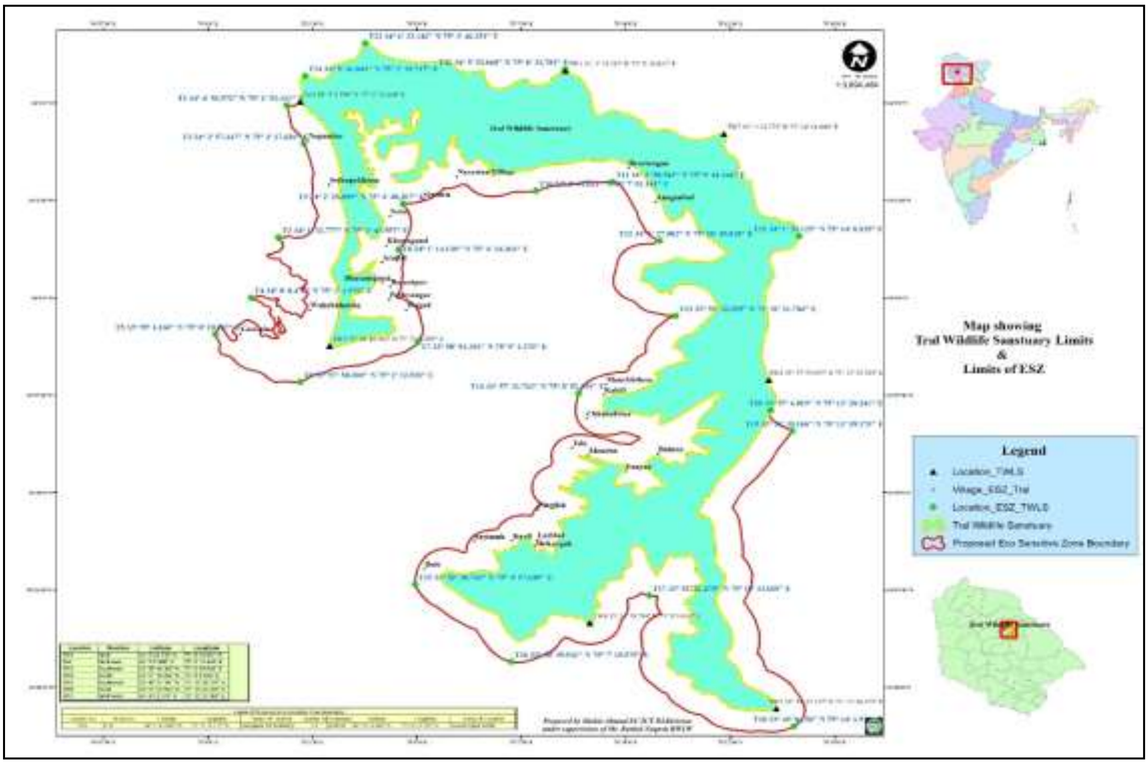

Annexure- IIB

MAP OF THE ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES AND BOUNDARY DECRIPTION OF PROMINENT POINTS

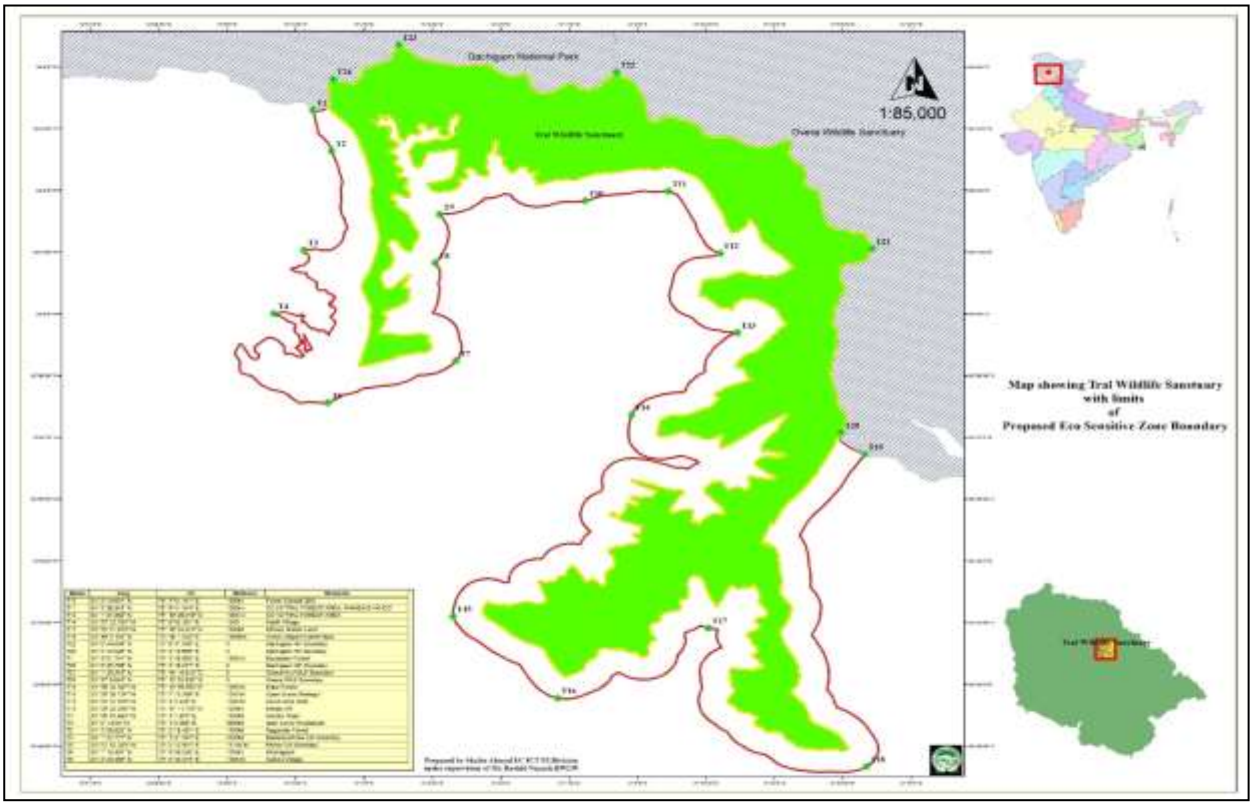

Annexure- IIC

GOOGLE EARTH MAP SHOWING BOUNDARIES OF TRAL WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH PROMINENT POINTS

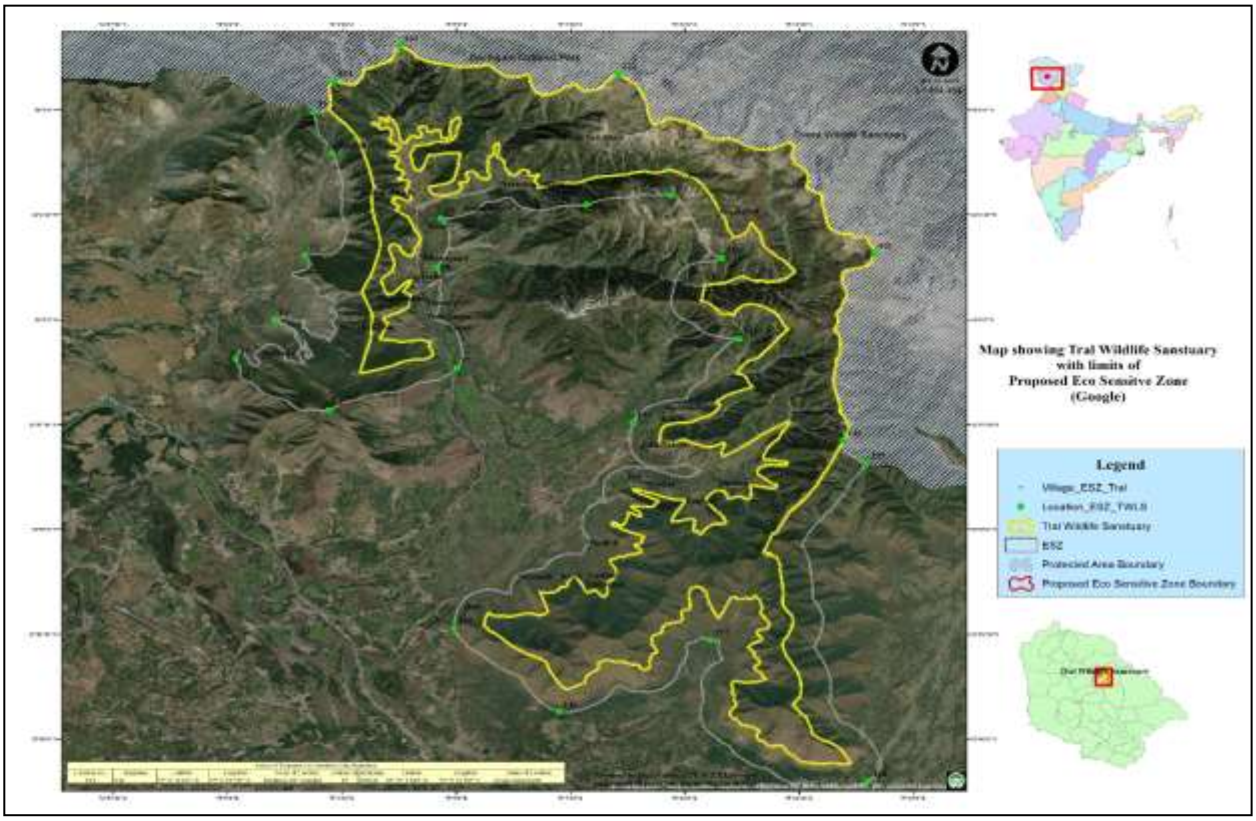

Annexure-IID

TOPOSHEET MAP OF THE ECO-SENSITIVE ZONE AROUND TRAL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEOCOORDINATES OF PROMINENT POINTS

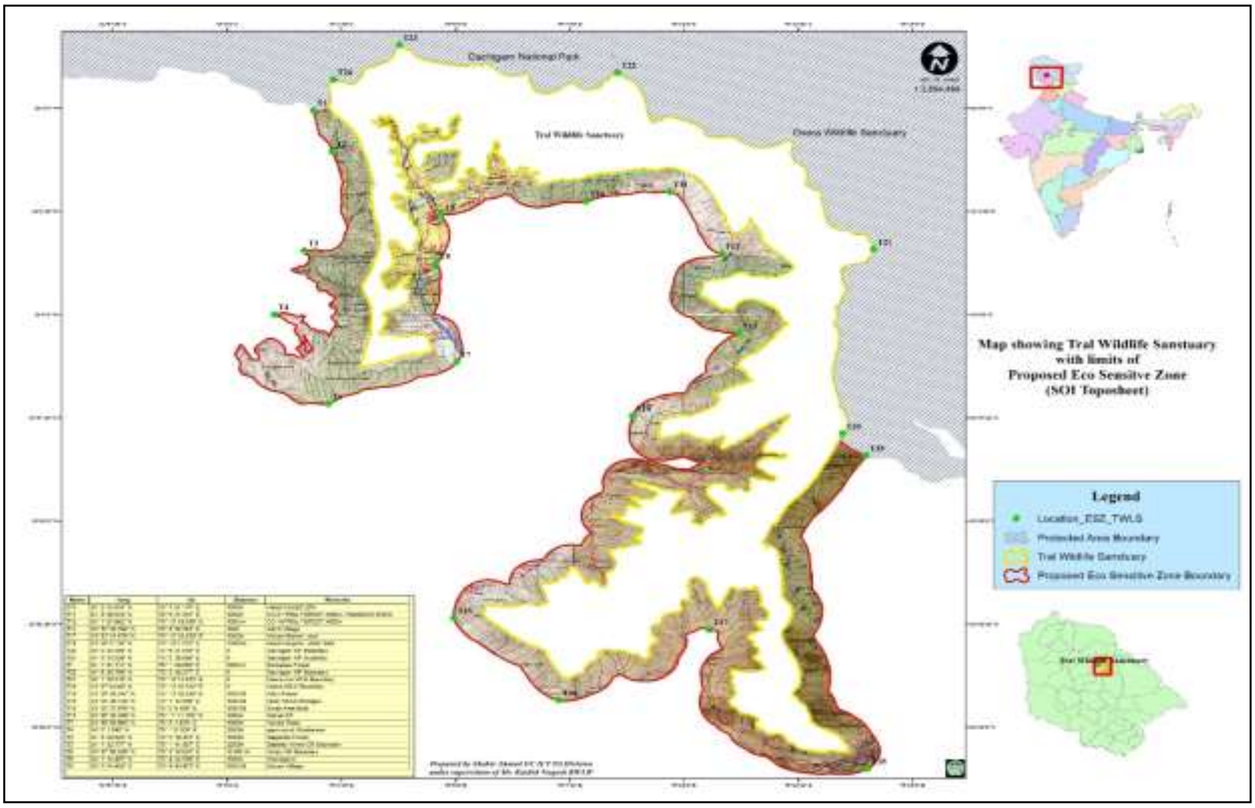

Annexure-IIE

LAND USE LAND COVER MAP OF TRAL WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE

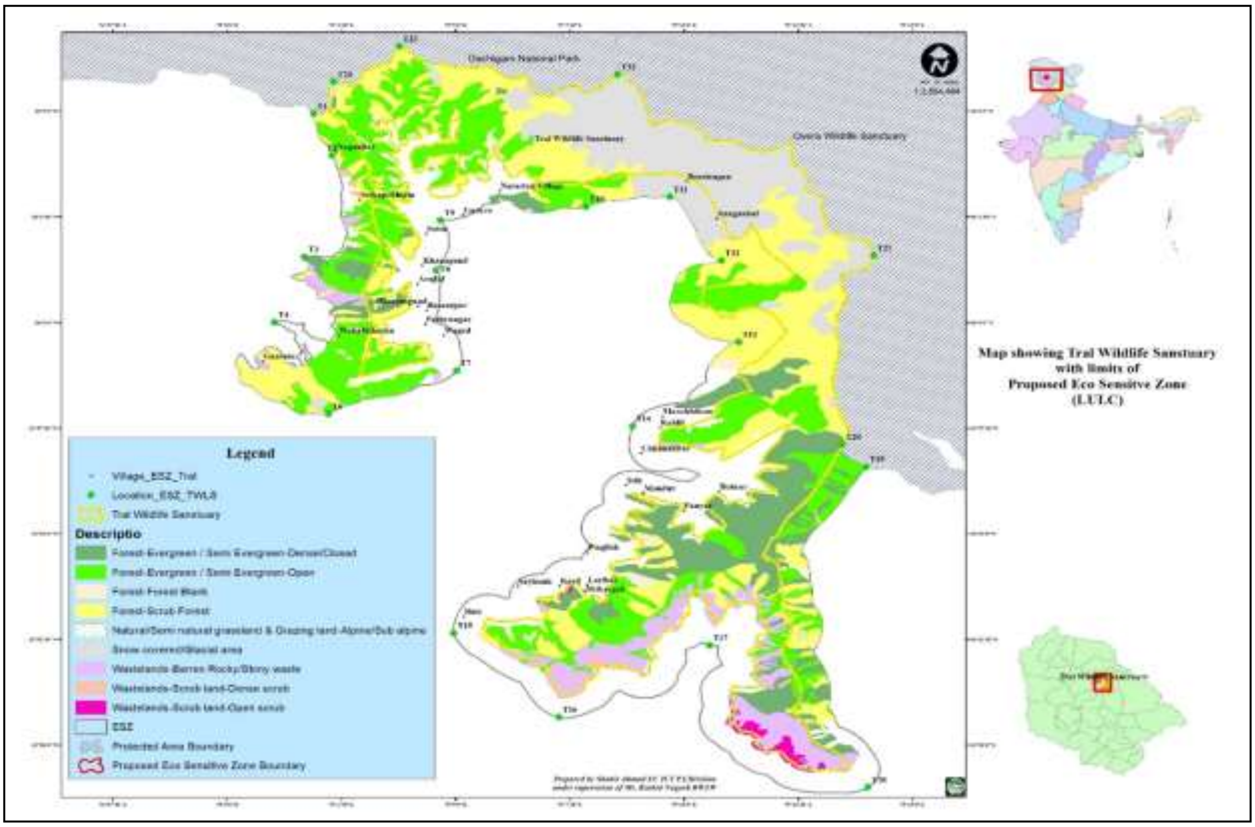

Annexure-IIF

FOREST TYPE MAP OF THE ECO-SENSITIVE ZONE AROUND TRAL WILDLIFE SANCTUARY

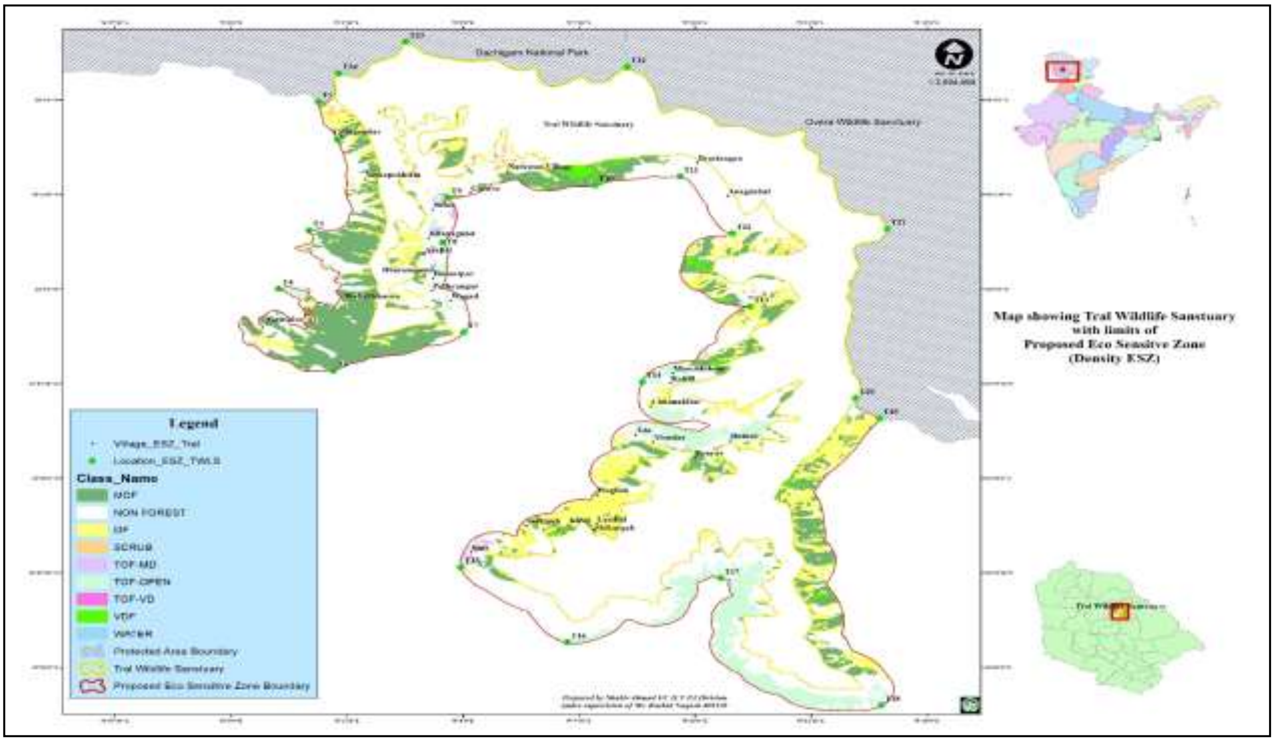

Annexure-IIG

LOCATION OF VILLAGES FALLING INSIDE ECO-SENSITIVE ZONE OF TRAL WILDLIFE SANCTUARY

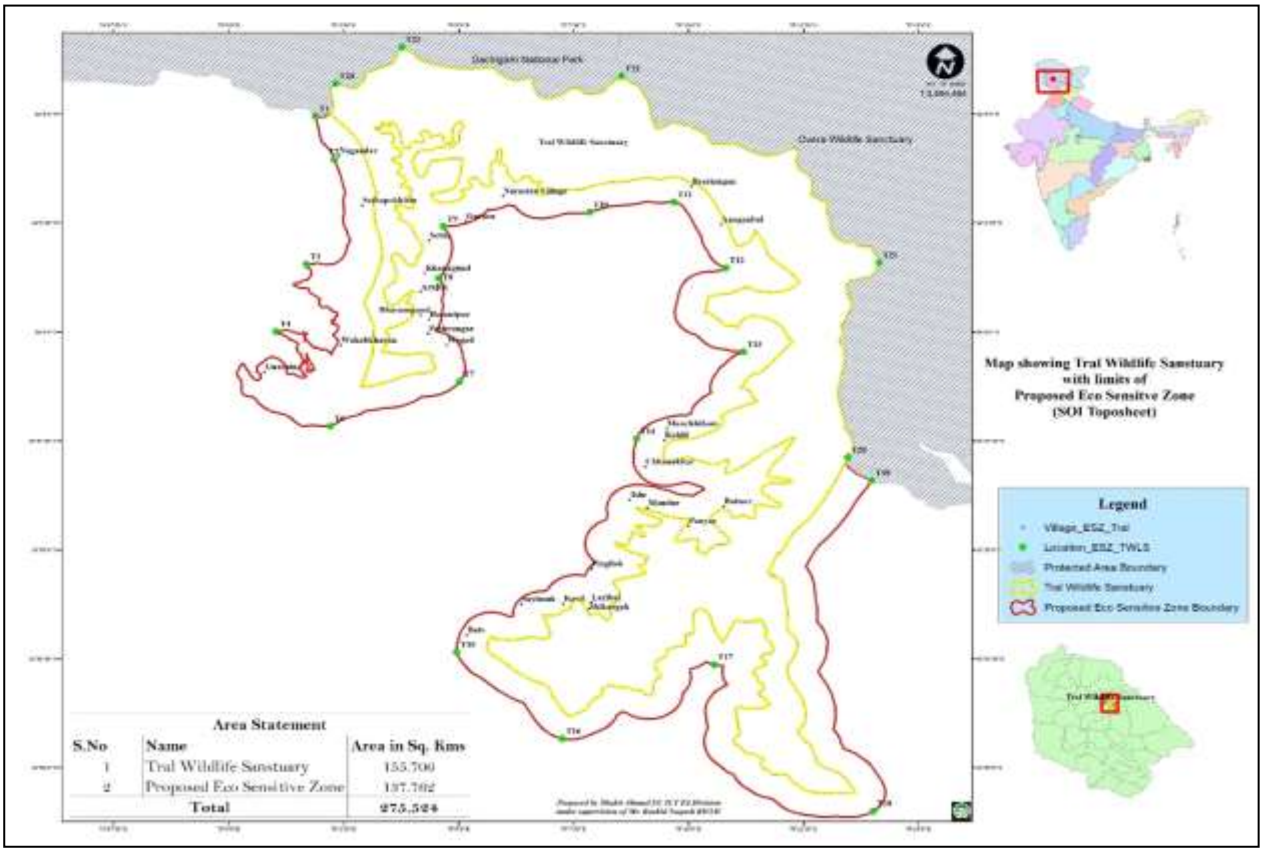

Area Statement

S.No	Name	Area in Sq. Kms
1	Tral Wildlife Sanstuary	155.700
2	Proposed Eco Sensitive Zone	137.702
Total		**275.524**

Annexure-III

LIST OF VILLAGES ALONG WITH GEO-COORDINATES FALLING INSIDE ESZ AREA

S. No.	Village	District	Tehsil	Latitude (N)	Longitude (E)
01	Nagander	Pulwama	Pampore	34° 2'54.93"	75° 2'47.27"
02	Sethpokhran	Pulwama	Pampore	34° 0'49.30"	75° 1'40.98"
03	Wahabkharun	Pulwama	Pampore	33°59'42.79"	75° 1'58.61"
04	Wagad	Pulwama	Aripal	33°59'51.31	75° 4'50.89
05	Basantpur	Pulwama	Aripal	34° 0'11.92"	75° 4'45.29"
06	Dharamgund	Pulwama	Aripal	33°59'53.16"	75° 4'49.24"
07	Aripal	Pulwama	Aripal	34° 1'2.32"	75° 4'15.47"
08	Khangund	Pulwama	Aripal	34° 1'35.64"	75° 4'23.29"
09	Satura	Pulwama	Aripal	34° 2'23.46"	75° 4'26.89"
10	Guturu	Pulwama	Aripal	34° 2'43.11"	75° 5'27.26"
11	Narastan	Pulwama	Aripal	34° 3'18.62"	75° 6'0.80"
12	Manchihama	Pulwama	Tral	33°57'43.77"	75° 9'44.87"
13	Kahlil	Pulwama	Tral	33°57'45.11"	75° 9'2.45"
14	Chhanakitar	Pulwama	Tral	33°57'4.04"	75° 9'11.67"
15	Chewa Ullur	Pulwama	Tral	33°56'20.51"	75° 8'52.36"
16	Bathnoor	Pulwama	Tral	33°56'11.05"	75°10'50.02"
17	Mondura	Pulwama	Tral	33°56'2.14"	75° 9'10.01"
18	Pannyer	Pulwama	Tral	33°55'41.85"	75°10'5.10"
19	Pinglish	Pulwama	Tral	33°54'46.03"	75° 7'46.13"
20	Laribal	Pulwama	Tral	33°54'6.73"	75° 8'0.96"
21	Shikargah	Pulwama	Tral	33°53'51.50"	75° 7'58.10"
22	Saimooh	Pulwama	Tral	33°53'41.39"	75° 6'26.50"
23	Buchoo	Pulwama	Tral	33°53'17.44"	75° 5'21.99"
24	Sangnar	Anantnag	Salar	33°53'16.42"	75° 10'08.79"
25	Panaar	Anantnag	Salar	33°53' 14.22"	75° 11'16.57"
26	Sakhras	Anantnag	Sriguphwara	33°49' 4.82"	75° 13' `16.51"

Annexure- IV

DEMOGRAPHIC PATTERN OF THE VILLAGES FALLING INSIDE ESZ

The proposed ESZ of the Tral Wildlife Sanctuary has 26 major/revenue villages within its limits with an estimated human population of around 45000. The village-wise population as per 2011 census/ concerned chowkidar’s report is as under:

S.No	Village	Total	ST/SC	Male	Female	Child (0-6)
01	Nagander	434	00.00	204	147	83
02	Sethpokhran	1651	183	651	691	309
03	Wahabkharun	675	125	300	280	95
04	Wagad	1356	0.00	566	566	224
05	Basantpur	1132	0.00	590	542	NA

06	Dharamgund	586	0.00	274	241	71
07	Aripal	2159	1	1671	471	117
08	Khangund	1765	0.00	808	780	177
09	Satura	3429	832	1462	1458	509
10	Guturu	1376	496	571	577	228
11	Narastan	1356	0.00	689	667	NA
12	Manchihama	3510	0.00	1817	1693	NA
13	Kahlil	4674	0.00	2410	2264	NA
14	Chhanakitar	635	00.00	336	299	NA
15	Tsulu	1378	0.00	687	691	NA
16	Bathnoor	3517	589	1131	1031	355
17	Mondara	2068	5	885	913	270
18	Pannyer	253	NA	NA	NA	NA
19	Pinglish	2869	0.00	1251	1280	338
20	Laribal	829	0.00	319	308	101
21	Shikargah	996	0.00	439	443	114
22	Saimooh	3111	0.00	1470	1310	331
23	Sangnar	2057	777	904	772	381
22	Panaar	905	NA	NA	NA	NA
25	Ashdar	750	NA	NA	NA	NA
26	Sakhras	1819	0.00	791	821	207

Agriculture (mainly horticulture) is the main occupation and source of income for people living in these villages.

Annexure- V

LIST OF MAMMALS AND BIRDS FOUIND IN THE TRAL WILDLIFE SANCTUARY

(a) Fauna

Around 15 species of mammals, including some rare ones are found within the limits of Tral Wildlife Sanctuary & the adjoining areas. These mammal species include:

1. Kashmir Red Deer *(Cervus hanglu hanglu)*
2. Kashmir Musk Deer (*Moschus cupreous*)
3. Asiatic Black Bear (*Ursus thibetanus*)
4. Himalayan Brown Bear (*Ursus arctos*)
5. Common Leopard (*Panthera pardus*)
6. Leopard Cat (*Prionailurus bengalensis*)
7. Jungle Cat (*Felis chaus*)
8. Red Fox (*Vulpes vulpes*)
9. Siberian Weasel (*Mustela sibirica*)
10. Tibetan Wolf (*Canis lupus*)
11. Golden Jackal (*Canis aureus*)
12. Yellow-throated Marten (*Martes flavigula*)
13. Kashmir Grey Langur (*Semnopithecus ajax*)

14. Rhesus Macaque (*Macaca mulatta*)

15. Indian Crested Porcupine (*Hystrix indica*)

(b) Avifauna:

The sanctuary and its adjoining area are also home to more than 200 species of birds which notably include:

1. Golden Eagle (*Aquila Christos*)
2. Bearded Vulture (*Gypaetus barbatus*)
3. Himalayan Griffon Vulture (*Gyps himalayansis*)
4. Kashmir Flycatcher (*Ficedula subrubra*)
5. Black-throated Accentor (*Prunella atrogularis*)
6. Orange Bullfinch (*Pyrrhula aurantiaca*)
7. Kashmir Nuthatch (*Sitta cashmirensis*)
8. Chestnut Thrush (*Turdus rubrocanus*)
9. Common Rosefinch (*Carpodacus erythrinus*)
10. European Roller (*Coracias garrulous*)
11. European Bee-eater (*Merops apiaster*)
12. Chestnut-eared Bunting (*Emberiza fucata*)
13. Pine Bunting (*Emberiza leucocephalos*)
14. Rock Bunting (*Emberiza cia*)
15. Black & Yellow Grosbeak (*Mycerobas icterioides*)

Annexure- VI

PROFORMA OF THE ACTION TAKEN REPORT:

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged Under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986
8. Any other matter of importance.

[F. No. 25/2/2023-ESZ]

Dr. S. KERKETTA, Scientist-G

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2024.10.04 22:06:00 +05'30'